

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

**RAJYA SABHA**  
**STARRED QUESTION NO. 47**  
TO BE ANSWERED ON 07.12.2023

**Air pollution in NCR and the country**

47 SHRI SANDEEP KUMAR PATHAK:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) the details of funds released by the Central Government to each State/UT to combat air pollution in the last three years and the funds spent by them, year-wise;
- (b) the list of meetings called on by the Environment Minister with Chief Ministers/Ministers of Haryana, UP, Punjab, Delhi and other concerned States regarding air pollution in Delhi NCR during the last three years;
- (c) the list of attendees and the decisions taken during each meeting; and
- (d) the details of steps taken by Central Government to combat air pollution in Delhi-NCR during the last three years?

**ANSWER**

**MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**  
**(SHRI BHUPENDER YADAV)**

**(a) to (d) :** A statement is laid on the table of the House.

\*\*\*

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARA (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 47 DUE FOR REPLY ON 07.12.2023 REGARDING AIR POLLUTION IN NCR AND THE COUNTRY RAISED BY SHRI SANDEEP KUMAR PATHAK, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT.**

**(a) :**

Ministry of Environment Forest & Climate Change (MoEF&CC) launched National Clean Air Programme (NCAP) in January, 2019 which is a long-term, time-bound national level strategy for prevention, control and abatement of air pollution with an objective to improve air quality in 131 Non-attainment and Million Plus Population Cities/Urban Agglomerations.

Central Government has earmarked an amount of Rs.19,711 Cr. to 131 cities during the period FY 2019-20 till FY 2025-26 out of which 49 Million Plus Cities/Urban Agglomerations are funded under Fifteenth Finance Commission (XVFC) air quality grant. An amount of Rs. 9,103.92 Cr. was released to 131 cities to implement City Action Plans in their respective cities during last three years (FY 2020-21 to 2022-23).

State-wise and year-wise details of funds released and utilization in 24 States/UTs having 131 targeted cities under NCAP are provided at **Annexure-1**.

**(b) & (c):**

List of meetings chaired by Hon'ble Minister of Environment, Forest & Climate change with Hon'ble Environment Ministers of Haryana, UP, Punjab, Delhi states is given below:

- Meeting of Hon'ble Environment Ministers of Delhi, NCR States and Punjab to discuss the implementation of action plan for improvement of Air Quality in NCR held on 23.09.2021.
- Meeting of Hon'ble Environment Ministers of Delhi and NCR States to review Air Quality Management in the NCR held on 11.10.2022.
- Inter-Ministerial Meeting under co-chairmanship of Hon'ble Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare on the issues of Management of Crop Residue Burning held on 03.08.2023.
- Review Meeting on Air Quality Management in Delhi NCR with Hon'ble Environment Ministers of Delhi and NCR States held on 20.10.2023.

The details of discussion and decisions taken along with list of attendees in each of the meetings are given in Record of discussion of the meetings which are enclosed as **Annexure-II**.

**(d) :**

With a view to abate and control air pollution in Delhi / NCR, the Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM), constituted in 2021, has devised a comprehensive policy for abatement of pollution in NCR in July, 2022, stipulating sector specific action points quantifying targets along with timelines and implementation plan by various agencies in NCR States including the State of Punjab with respect to abatement of air pollution owing to crop residue burning. The policy framework details sector-wise interventions, quantified targets and timelines for various sectors viz. vehicular pollution, industrial pollution, dust from construction and demolition project activities, road and open areas dust, biomass burning, agricultural stubble burning, Municipal Solid Waste burning, fires in sanitary landfills and air pollution from dispersed sources etc.

Since inception the CAQM has so far issued 78 directions and 11 advisories, besides executive orders to various agencies concerned in the NCR including State Governments of Punjab, GNCTD, and various bodies of the Central and State Governments in the region. Due to these concerted efforts general improvements in the AQI level has been witnessed in the region.

To address the deterioration of Air quality actions under 'Graded Response Action Plan (GRAP)' are also imposed based on AQI. The GRAP calls for a set of emergent preventive/restrictive actions depending on air pollution levels, to be implemented by the identified agencies for combating the adverse air quality scenario generally prevailing in Delhi owing to unfavorable climatic and meteorological conditions during the winter months. Graded Response Action Plan (GRAP) for abatement of air Pollution in Delhi & NCR was notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in January 2017. The Commission has issued revised GRAP in October, 2023 which is being operationized by the Sub-Committee having representation from Pollution Control Boards/Committee of NCR State Governments and GNCTD, CPCB, IITM, Pune and IMD, New Delhi

The CAQM has deputed 40 teams of CPCB officers since December 2021, for conducting incognito inspections of air polluting industries, C&D sites, DG sets in Delhi-NCR to check implementation status of pollution control measures and compliance of other provisions of the Air (P&CP) Act, 1981. A total of 16037 units/ entities/ projects have been inspected as on November 24, 2023. Based on these inspections, CAQM has issued closure directions in 899 cases and out of these resumption orders have been issued in 708 cases while 132 cases are still under closure and cases of 59 balance units have been transferred to SPCBs / DPCC for final decision. Further, steps for control of stubble burning are as following:

1. MoA&FW in 2018 launched scheme for providing subsidy for purchase of crop residue management machinery and establishment of custom hiring centres (CHCs) in NCT of Delhi and the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. During 2018-2022, total fund released to Delhi and other States under the said Scheme is Rs. 2440.07 crores using which, over 2 lakh crop residue machineries have been delivered to individual farmers and CHCs, and over 39,000 CHCs have been established.
2. CPCB has framed guidelines for providing one-time financial assistance for setting up of paddy straw based pelletization and torrefaction plants which may help in addressing the supply chain issues and the issue of open burning of paddy straw in agriculture fields in Northern Region. A maximum amount of Rs. 28 lakhs or 40% of the capital cost considered for plant and machinery of a 1 TPH plant, whichever is lower, shall be given as one-time financial support by CPCB, subject to a maximum total financial support of Rs. 1.4 crore per proposal. A corpus of Rs. 50 crores has been earmarked for utilisation through the guidelines. A total of 10 plants have been approved so far.
3. An addendum to the above said CPCB Guidelines was also issued under which one-time financial assistance is provided to Municipal Corporations, Municipal Councils and Zilla Parishads of the states of Punjab, Haryana, NCT of Delhi and NCR districts of Uttar Pradesh and Rajasthan, for establishing paddy straw based briquetting plants for use of briquettes for crematoria only.
4. Directions issued by CAQM to State governments of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh to strictly and effectively implement framework and revised action plan to eliminate and control stubble burning.

The details of various other steps taken by CPCB to combat air pollution in Delhi-NCR during the last 03 years is given at **Annexure-III**.

\*\*\*

<b>State and year wise details of funds released and utilization in 131 targeted cities during FY 2020-21,2021-22 and 2022-23 under NCAP</b>									
<b>S N</b>	<b>State</b>	<b>Fund released</b>				<b>Fund Utilized</b>			
		<b>FY 20-21</b>	<b>FY 21-22</b>	<b>FY 22-23</b>	<b>Total</b>	<b>FY 20-21</b>	<b>FY 21-22</b>	<b>FY 22-23</b>	<b>Total (Rs. in Cr.)</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=1+2+3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=5+6+7</b>
1	Andhra Pradesh	152.28	77.58	75.06	<b>304.92</b>	0.04	2.31	59.70	<b>62.05</b>
2	Assam	12.00	0.00	24.10	<b>36.10</b>	0.29	1.27	17.89	<b>19.45</b>
3	Bihar	211.00	88.97	7.09	<b>307.06</b>	8.34	56.20	102.02	<b>166.56</b>
4	Chandigarh	5.00	4.61	6.87	<b>16.48</b>	5.13	2.03	4.23	<b>11.39</b>
5	Chhattisgarh	120.00	68.70	57.94	<b>246.64</b>	0.08	23.87	53.81	<b>77.76</b>
6	Delhi	0.00	11.25	22.50	<b>33.75</b>	0.00	0.00	10.77	<b>10.77</b>
7	Haryana	48.00	6.25	19.28	<b>73.53</b>	0.00	0.78	0.00	<b>0.78</b>
8	Himachal Pradesh	10.00	0.48	3.59	<b>14.07</b>	0.09	7.39	5.61	<b>13.09</b>
9	Jammu & Kashmir	8.00	12.84	32.50	<b>53.34</b>	6.08	2.01	7.84	<b>15.93</b>
10	Jharkhand	159.00	72.44	42.00	<b>273.44</b>	0.00	14.83	116.68	<b>131.51</b>
11	Gujarat	405.00	217.71	173.29	<b>796.00</b>	19.31	142.66	343.60	<b>505.57</b>
12	Karnataka	280.52	154.67	128.52	<b>563.71</b>	6.94	1.49	3.02	<b>11.45</b>
13	Madhya Pradesh	300.52	151.20	135.04	<b>586.76</b>	224.92	178.05	103.50	<b>506.47</b>
14	Maharashtra	804.40	453.24	386.83	<b>1644.47</b>	0.51	19.76	449.49	<b>469.76</b>
15	Meghalaya	3.00	0.00	0.45	<b>3.45</b>	0	1.89	0.95	<b>2.84</b>

16	Nagaland	6	0.93	3.95	<b>10.88</b>	0	0.00	1.62	<b>1.62</b>
17	Odisha	6.04	3.64	38.52	<b>48.20</b>	0.23	3.23	42.33	<b>45.79</b>
18	Punjab	105.04	33.75	56.88	<b>195.67</b>	0.06	15.90	117.93	<b>133.89</b>
19	Rajasthan	284.80	122.94	103.76	<b>511.50</b>	0.69	9.86	351.30	<b>361.85</b>
20	Tamilnadu	236.00	131.70	129.22	<b>496.92</b>	102.50	192.05	176.22	<b>470.77</b>
21	Telangana	247.76	118.79	92.96	<b>459.51</b>	34.51	186.28	157.51	<b>378.30</b>
22	Uttar Pradesh	726.16	218.63	672.79	<b>1617.58</b>	44.10	354.67	607.40	<b>1006.17</b>
23	Uttarakhand	11.00	5.67	22.30	<b>38.97</b>	0.20	1.53	14.80	<b>16.53</b>
24	West Bengal	432.00	165.60	173.42	<b>771.02</b>	6.93	161.23	7.06	<b>175.22</b>
<b>Total</b>		<b>4573.52</b>	<b>2121.59</b>	<b>2408.86</b>	<b>9103.97</b>	<b>460.95</b>	<b>1379.29</b>	<b>3241.54</b>	<b>5081.78</b>

**Record of Discussion**

**Meeting of Hon'ble Ministers of NCR and Punjab to discuss the implementation of action plan for improvement of Air Quality in NCR Region**

**Date: 23.09.2021**

**Venue: Hybrid (Physical & VC)**

1. A meeting of Hon'ble Environment Ministers of NCR and Punjab State was called under the Chairmanship of Sri Bhupender Yadav, Hon'ble Minister of Environment, Forests and Climate Change on 23.09.2021 @ 1030 hrs to discuss the preparedness and to address any issues which requires any inter-State and Inter-ministerial co-ordination for well-coordinated approach towards the concern of poor air pollution apprehended from burning of Parali (Paddy Stubble) during the ensuing harvesting season.
2. The meeting was attended by Sri. Manohar Lal Khattar, Hon'ble Chief Minister of Haryana, Sri. Sukhram Bishnoi, Hon'ble Minister for Forest & Environment, Govt. of Rajasthan, Sri. Gopal Rai, Hon'ble Minister for Environment, Forest & Wildlife, Govt. of NCT-Delhi, Sri. Dara Singh Chauhan, Hon'ble Minister for Forest, Environment & Zoological Gardens, Govt. of UP, Secretaries of Central Ministries and State Government, Chairman Commission for Air Quality Management in NCR &AA, Chairman and Member Secretary of Central and State Pollution Control Boards. The list of Participants is at **Annexure I**.
3. Hon'ble Minister Sri. Bhupender Yadav welcome all participants and highlighted that Air pollution in NCR is a cause of concern and the sources are diversified. Major sources which contributes to the poor air quality in the region, can be attributes to emission arising from seasonal burning of Parali and other continuous emission sources such as vehicular, Thermal power plants and other industrial emissions. He highlighted that CAQM has been constituted with participation of State Government of NCR and have been working in coordination with State Department. Many consultation meeting, advisories (8) and directions (42) have been issued by CAQM. Efforts and options are also being worked out by Central Ministries in consultation with concern department of States to evolve use of parali as resource.
4. He complemented the States for their efforts towards preparedness to plan for the measures in advance for abatement and control of burning of Parali and the coordinated work done so far.
5. Secretary, EF&CC highlighted that more than 12 meetings has been held in last 45 days with various ministries and Sate Governments to explore the possibilities to use the parali as resources viz. Supplementary use in Power Plants, Fodder in Fodder deficit area of Rajasthan and Gujrat. Task force has been formed to provide plan for fodder transportation. NTPC and other Thermal Power Plants in NCR has been directed to use 5-10% of Biomass as supplementary fuel and some enabling policy intervention in this regard is under consideration with Ministry of Power.
6. Dr. M. M. Kutty highlighted the preparedness made by the States administration on the action plan for prevention of paddy straw burning in ensuing harvesting season. He highlighted that the IT-enabled mobile tools are being used to allot machines by custom hiring centers, and the use of such machine will be higher.

Similarly, all States have taken aggressive efforts to promote the bio-decomposition through mass awareness campaign. He also highlighted some of the possible options for implementation for non-agricultural issues, which needs to be implemented by concern States.

7. Hon'ble Chief Minister of Haryana informed that the States has completed necessary preparatory work to control of Parali burning, which includes providing machines, incentives, monitoring of Red and Orange villages identified with respect to active fire events in last year and constitution of monitoring cum enforcement committee at each district and Taluka. He highlighted that his government has allocated Rs 200 Cr for providing incentives towards prevention and control of Parali burning in this year. He requested to consider the proposal submitted to MEF&CC for use of alternate clean fuel options for industries, where LPG/CNG/PNG infrastructure is not available.
8. Two power plants based on Biomass as fuel (6 ME + 60 MW) is under commissioning which will be consuming about 12 lakh MT of parali. Furnace Oil and Tyre Pyrolysis is banned activities in Haryana, and about more than 40000 MT compressed bailing facility is operational. 100 Kl of Ethanol plants using paddy straw is also under development. All brick kilns have been converted in zig-zag technology. Incentive for conversion of Diesel run Auto rickshaw to cleaner fuel is also provided.
9. Hon'ble Minister for Environment, Forest & Wildlife, Govt, of NCT-Delhi highlighted that using Pusa Bio decomposer, about 2000 acres were treated and very encouraging result has been observed both in-terms of soil enrichments and also betterment in yield of subsequent crop. He expressed that air quality management shall be taken up as on air-shed approach instead of area specific action plan. Delhi Govt, through its Electrical Vehicle is providing incentives to the buyers of EVs and Hot spot management has been also initiated to improve air quality. He highlighted that technologies are available for retrofitting the old DG sets to reduce the emission. He talked about the newly commissioned Smog Tower built in compliance to Hon'ble Supreme Court and requested other States to also adopt. All industries in Delhi are operating on PNG. Anti-Dust campaign, Red light On- Gaddi Off campaign has yielded good results and can be adopted by other States, specially Ghaziabad, Noida and Gurgaon.
10. Hon'ble Minister for Forest, Environment & Zoological Gardens, Govt of UP highlighting the success of bio-decomposing of stubble informed that State of UP has planned more than 10 lakh acres in this season. A very successful scheme "**Parali lao-Khaad le Jao**" is also availed by many farmers. Parali is also used in fodder at Goshala. UP was the first State to have dust management Cell operational and is working with World Bank on air shed approach for improvement of air quality in Indo-Gangetic Air shed. He also emphasized that there has been more than 23 Crore tree plantation with geo-tagging.
11. Govt of Punjab informed that necessary preparatory work has been completed for allocation and optimized used of machinery by the farmers. IT-enabled tools is being used. There has been significant reduction in non-basmati cultivation and it is estimated that harvesting may be staggered over longer period. Provision of an incentive fund of Rs. 25 CR has been made for the industries to switch over to cleaner fuel and promote parali with rice husk as fuel in industry. Religious leaders and local motivators are creating awareness to local farmers on ill effect of parali burning. 28 critical sites/zones have been identified

and the enforcement measures have been strengthened. It was also submitted that Central government may consider providing VGF for the power generating units to cover the extra financial liability arising due to higher cost of equipment and process as compare to convention fuel fed boilers. This will improve the off-take of parali as fuel in small and medium scale industry. Further it was also requested that NTPC may be requested to include Parali composition in the bio-mass to create a good market sentiments and assurance to the farmers that Parali is a resource for fuel.

12. Additional Secretary, MoP informed that the proposal for extending policy level supports such as merit order dispatch for promoting use of Bio-mass as fuel is under active consideration. Further, MoP is also considering to issue some regulatory advisory to SREC and CREC to extend enabling support for use of Bio-mass as fuel.
13. NTPC informed that condition to have minimum 50% paddy straw as constituent of bio-mass will be included in future tenders. The tender of 20 Million for next 3 years is in process and materials is expected to be lifted from ensuing season. Additional provision in the tender document to support the lifting of material from State of Punjab has been made. The impact on cost of power generation is Rs 5 paise per unit and can be pass through to the customer.
14. Joint Secretary, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Govt of India, who is also heading the task force constituted for providing mechanism for use of non-basmati parali as fodder in fodder deficient areas of Rajasthan and Gujrat, informed the progress made by the task force. He informed that Gujrat (Kachch) and Rajasthan (Jaisalmer) has informed about 225000 MT and 30,000MT requirement. The issue of extra fund required for movement of fodder, first mile and last mile transportation is being workout. Options are being explored for fund to support the gap arising after consideration of state level relief fund is also being worked out. It was also informed that government machinery may not be in position to collect, process and transport in ensuing season, however, interaction with private entrepreneurs, working in this domain has shown encourage possibilities.
15. Joint Secretary, Agriculture and Farmer Welfare, informed that the 3<sup>rd</sup> Installment under their scheme to support the in-situ management has been process and will be released in this week. It was informed that the availability of the machinery at Custom Hiring Centers, especially in Punjab is to be strengthened and its utilization has to be improved by having better co-ordination at field level.
16. HMEF in his concluding remarks highlighted that the preparatory work informed by the States and CAQM suggests that significant reduction in burning of parali can be achieved in the ensuing season subjected to effective implementation of the action plan. Efforts of local administration and monitoring mechanism is vital and we all as a team has to continue to work in better co-ordination to achieve success. Use of newly developed active fire monitoring platform for real time data sharing will help in close monitoring. Wider use of bio-decomposition initiative taken by States (Delhi - 4000 Acres, Punjab – more than 5 lakhs Acres, Haryana – More than 1 Lakh Acres, UP – more than 10 Lakh acres,) reflects the commitment, which is further supported by the initiative towards alternate use of parali as fuel supplement in TPPs, Raw materials for Compressed Bio-Gas Plants and other industries. This will help in recognizing Parali as

resources and provide an opportunity for extra source of income for Farmers. Relevant information discussed is annexed as **Annexure II**.

17. He emphasized that the CAQM has been constituted with the objective to have Air-Shed approach to improve the air quality of NCR regions and the support and participation from State Governments to CAQM is appreciated and will help in achieving the envisaged objectives.
18. The meeting ended with thanks to Chair.

**List of Participants:**

<b>Sl. No.</b>	<b>Name of the Participant</b>	<b>Designation</b>
1.	Shri Bhupender Yadav	Hon'ble MEF&CC
2.	Shri Manohar Lal Khattar	Hon'ble Minister for Environment, Govt. of Haryana
3.	Shri Sukhram Bisnoi	Hon'ble Minister for Environment, Govt. of Rajasthan
4.	Shri Gopal Rai	Hon'ble Minister for Environment, Govt. of NCT of Delhi
5.	Shri Dara Singh Chauhan	Hon'ble Minister of Environment, Govt. of UP
6.	Shri Rameshwar Prasad Gupta	Secretary, MoEF&CC
7.	Shri Naresh Pal Gangwar	Joint Secretary, MoEF&CC
8.	Shri M.M. Kutty	The Chairman, CAQM in NCR & AA
9.	Shri Tanmay Kumar	Chairman, CPCB
10.	Shri Vivek Dewangan	Additional Secretary, Ministry of Power
11.	Ms. Somita Bishwas	Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
12.	Dr. O.P Chaudhary	Joint Secretary, Ministry of Fisheries and Animal Husbandry
13.	Shri Prashant Gargava	Member Secretary, CPCB
14.	Shri A.K. Nautiyal	Member Secretary CAQM in NCR & AA
15.	Smt. Sreya Guha	Principal Secretary, Department of Environment, Rajasthan
16.	Prof. (Dr) Adarsh Pal Vig	Chairman, Punjab Pollution Control Board
17.	Shri Krunesh Garg	Member Secretary, PPCB
18.	Shri Sanjeev Khirwar	Principal Secretary (Env & Forest), NCT of Delhi
19.	Dr. Vijay Singhal	CEE, Rajasthan SPCB
20.	Smt. Shailja Deval	Member Secretary, Rajasthan SPCB
21.	Shri Ashish Tiwari	Member Secretary, UPPCB
22.	Shri Sayed Musawwir Ali	Member Secretary, DPCC
23.	Shri Dilip Kumar	Principal Secretary to Govt. of Punjab, Department of Science, Technology & Environment
24.	Dr. Gurdeep Singh	CMD, National Thermal Power Corporation (NTPC)
25.	Dr. Ramesh Babu	NTPC
26.	Shri Ankur Garg	Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB)
27.	Shri Satyendra Pratrap Singh	UPPCB
28.	Shri S.K .Dutta	NLM Division.
29.	Shri Vivik Roy	CEO UPPCB (Meerut)
30.	Shri Sundeep	Director, MoEF&CC
31.	Shri R N Pankaj	Scientist 'D', MoEF&CC
32.	Shri Prasoon Tripathi	US, MoEF&CC
33.	Shri Vineet Kumar Mall	RA, MoEF&CC

**A. Comparative Active Fire Events in the State of Punjab and Haryana**

- Active Fire Events (AFE) for the states of Punjab and Haryana:

State	Year (2016)	Year (2019)	Year (2020)	% increase or decrease
Punjab	80930	76590	76590	<b>44.5% Increase</b>
Haryana	12564 (2017)	6652	5000	<b>25% Decrease</b>

- Punjab:** Districts of concern in

**Sangrur, Ludhiana, Bathinda, Fazilka, Firozpur, Moga,**

- Harayana : District of Concerns **Karnal, Kaithal and Fatehabad**

**B. Enforcement of ban on stubble burning**

State	FIR/Complaint registered	No. cases identified	Environmental Compensation (EC) collected (Rs.)
Haryana (since 2016)	464	4787 (District level consultative committee-DLCC)	86.46 Lakhs
Punjab (since 2018)	1785	40330 (EC imposed)	41.00 Lakhs

## **In situ Management of Parali**

- In field biodegradation of left over straw after harvesting is the concern as to avail the field for early sowing, farmers tend to burn this straw in field, thereby generating severe source of air pollution in the region.
- i. Optimized use of in-situ machineries available/provide to CHCs.
- ii. Use of bio-decomposition technologies.
- iii. UP has aggressively enforced the active plans and created an enabling environment for the farmers for better utilization of parali as resource:
  - a. Use as fodder in the gaushala
  - b. Common manure preparation facility
  - c. In situ bio composting in field. Successful acceptance of bio composting by the farmers, in situ bio-composting on a larger scale has been planned (1 lakh capsule).

## **Action initiated:**

1. Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM) has been constituted through promulgation of an Ordinance (13 of 2020) on 28.10.2020 which was enacted as an Act on 13.08.2021 to mitigate air pollution in National Capital Region (NCR) and Adjoining Areas passed.
2. The CAQM has taken many steps and interaction meeting with the stakeholders and have issued, in total, 8 advisories and 42 directions.
3. CAQM, in consultation with the SPCBs, has revised the comprehensive action plan of the states and submitted the progress report and communicated the details about the implementation of the action plan. The success of the action plan is purely dependent on the manner in which the plans will be implemented in the States.
4. Parali produced in Punjab will be used as Pashu-Ahaar (fodder) in Kutch, Gujarat with the help of M/o A&FW and M/o F&AHD, M/o Railways and Govt. of Punjab.
5. A Task force has been constituted under the Joint Secretary, D/o FAH&D with the members from M/o A&FW, M/o. EF&CC, M/o Railways, Commissioner (Agriculture) from the States of Punjab, Haryana, Gujarat & Rajasthan, Commissioner (Animal Husbandry) Commissioner (Relief) from Gujarat and Rajasthan and Commissioner (Transport) from the State of Punjab and Haryana. Govts. of Gujarat and Rajasthan will provide the exact demand and the estimate of annual requirement of non-basmati paddy straw (fodder) and Govts. of Punjab and Haryana will provide cost estimate for bailing, collection, storage to the Task force
6. Stubble biomass will be used as supplementary fuel in Coal based Thermal Power Plants (TPPs). NTPC has approved that it is technically feasible and implementable to co-fire bio mass pellets including that of paddy straw with coal in proportion up to 5-10 % in TPPs without any modification in the boilers. So,

the use of bio-pellets in TPPs is being promoted across the country. M/o Power has launched the National Biomass Mission for utilization of biomass with representatives from CEA, NTPC, DVC and NLC.

7. CAQM has issued direction to all TPPs in NCR to use bio-mass as supplementary fuel in their boilers. Many of the States governments have also encouraging other industries to use bio-mass based fuel to substitute coal
8. Satellite based estimation and marking of active fire event and its real time communication to the field officer have been made operational with the help of ISRO, M/O Agriculture, and respective State Government.
9. All States have taken aggressive awareness campaign to sensitize the farmers to discourage burning of stubble
10. M/o Agriculture has release fund amounting to Rs. 690.24 Cr to the States of Punjab (331.94 Cr), Haryana (193.35 Cr) and Uttar Pradesh (159.95 Cr) and IEC activities (5 Cr) to support the efforts for in-situ management of stubble by providing machineries and equipment to the farmers and Customer Hiring Center
11. Participation of private entrepreneurs is very much important to sensitize the Government's plan of Stubble Management. So, the private sector enterprises will be included for the implementation of the action plans.

### **Pusa Bio-decomposer Technology**

- Developed by Indian Agriculture Research Institute, Pusa, New Delhi
- 4 Capsules of this product can be scaled up to 25 L liquid formulation which can be applied In-situ to 1.0 Hectare (2.471 acres) of rice field having 4-5 tonnes of paddy straw.
- It accelerates the conversion of crop/paddy residue into manure in 20-25 days as reported in UP, Delhi, parts of Haryana and Punjab.

#### **Plan for utilization of Pusa Bio-decomposer Technology**

**Haryana** Free of cost to the farmers for management of 1 lakh acre in the state

**Delhi** Plan to use in more than 4000 acres of area under paddy, out of the total area 14600 acres.

**UP** 10 lakhs capsules (6.1 lakh acres) free of cost by Government.

**Punjab** Government target approx. 7413 acres

**Private Enterprise (UPL, Bangalore)**

- Target more than 5 lakhs acres in Punjab & Haryana
- More than 25,000 farmers registered (details district-wise attached)
- Rs. 500 per acre cost by company but free to farmers

**Record of Discussion**  
(11-Oct-2022)

**Meeting of Hon'ble Ministers of Environment to review Air Quality Management in the NCR region under the Chairmanship of Hon'ble MEF&CC**

A virtual Meeting with Hon'ble Chief Minister of Haryana, Hon'ble Ministers of Environment of Rajasthan, Uttar Pradesh, Punjab, GNCT Delhi and other officers was held on 11.10.2022 at 09.00 AM under the Chairmanship of Shri Bhupender Yadav, Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change. Shri Ashwini Kumar Choubey, the Hon'ble Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, also attended the meeting virtually. The meeting was called to review the air quality management in Delhi NCR in view of ensuing anticipated winter air pollution due to paddy harvesting season and Diwali festival. The List of Participants is enclosed at Annexure.

2. Additional Secretary, EF&CC welcomed Hon'ble Environment Ministers of NCR states and other dignitaries and apprised the agenda of the meeting.
  
3. With the permission of the Chair, Commission for Air Quality Management in NCR & AA (CAQM) made a presentation on the progress made so far in major identified sectors as follows:
  - i. Agricultural Stubble Burning,
  - ii. Industrial Pollution & Pollution from DG sets,
  - iii. Vehicular Pollution & Electric mobility,
  - iv. Dust from Road and Open Areas, Greening / Plantation,
  - v. Dust from Construction and Demolition Activity,
  - vi. Biomass/MSW burning/Fires in SLF sites,
  - vii. Episodic events like bursting of fire crackers,
  - viii. Graded Response Action Plan (GRAP),
  - ix. Monitoring and Enforcement.

The Commission informed that different concerned agencies have been directed for targeted short / medium/ long-term actions in various sectors. It was also informed that a decrease has been observed in the stubble burning events in Delhi NCR region in comparison to previous year with Rajasthan having zero case reported. Citing the data on paddy residue burning events, the Commission requested HMEF&CC to direct States to expedite actions for in-situ management for utilization of available machinery under CRM scheme through Custom Hiring Centres and Cooperatives and to extend area for the application of bio-decomposer.

A new revised Graded Response Action Plan (GRAP) for Delhi NCR region has been circulated by CAQM. It has now been linked to the AQI for a better understanding of the people. Now, the appropriate actions will be undertaken in advance. Continuous efforts have been made in the direction of shifting of the industries to cleaner fuels in Delhi NCR. A standard list of approved fuels has been released and solid and liquid fuels are strongly targeted

to be eliminated. Biomass as a fuel is approved and promoted. A significant number of industries have been shifted to cleaner fuels, some have been notified and some have been permanently closed down. More areas are being covered under PNG/CNG supply.

For the elimination of DG Set operation in Delhi NCR, various directions have been issued and un-interrupted power supply in Delhi NCR region is targeted and worked upon continuously. In case of bursting of firecrackers, the Orders of the Hon'ble Courts are followed and only Green Cracker are allowed. This will be strictly monitored in this Diwali season in order to totally restrict the usage of Non Green Firecrackers. Effective steps have continuously been taken by CAQM for management of Road Dust and C&D waste with positive outputs.

4. Hon'ble Environment Ministers of NCR states and NCT Delhi apprised the Chair about preparedness in their States and UT with regard to: (i) prevention and control of agricultural (paddy) stubble burning and action plan for various ex-situ and in-situ management, (ii) measures to control particulate matters and emissions from continuous sources: DG sets, vehicular, industrial, C&D activities, dust from road and open areas, greening etc.

5. Shri Manohar Lal, Hon'ble Chief Minister and Environment Minister of Haryana apprised about the efficient steps taken for the air pollution abatement in Haryana. It was informed that ex-situ steps for the management of Parali are being taken continuously and approx. 72,777 machines have been distributed to the farmers in last 4 years. Hon'ble CM added that under in-situ management, 23 lakh MT crop residues will be utilised through various machines and decomposers and 13 MT crop residues will be utilized under ex-situ management. An incentive of Rs. 1000/acre is being provided to the farmers for bailing and Rs. 500 per acre for transportation of bails to Gaushalas. A total of Rs. 1000/MT is being provided to the cluster identified by IOCL for 2G-Bio-ethanol plant at Panipat for supply of 2 Lakh MT residue management. Tenders have been floated for providing 20 Lakh MT briquettes/pellets for supply to NTPCs.

6. Shri Hemaram Choudhary, Hon'ble Environment Minister, Rajasthan apprised about the action taken and progress achieved for air pollution abatement in NCR districts of Rajasthan and it was ensured that CAQM's directions are strictly followed. Out of 525 industrial units, 300 have switched over to PNG, 52 units have been closed and 23 units will be closed soon. Other units are facing the issue of PNG supply in their area. The area under green cover has been substantially increased with massive plantations.

8. Shri Gopal Rai, Hon'ble Environment Minister of NCT Delhi informed that it has prepared 15-point action plan which will be launched on 30<sup>th</sup> Sep 2022. Hon'ble Minister updated on the various action initiated in view of ensuing winter pollution which include improvement in bio-decomposer applications, installation of anti-smog guns, PUC management, Red Light On Gaadi Off campaign, monitoring of biomass burning, shifting of industries to clean fuels, ban on firecrackers, Institution of Paryavran Mitra, deployment of electric public transport, awareness campaign etc. Hon'ble Minister suggested that there is need to constitute a Regional

Action Force under Senior Officer which needs to make surprise visits to see the implementation of action plan on the ground level.

9. Dr. Arun Kumar Saxena, Hon'ble Environment Minister, Uttar Pradesh apprised HMEF&CC of the actions taken and progress achieved for air pollution abatement in NCR districts of Uttar Pradesh. It was informed that the Government has prepared the action plan to deal with air pollution. The application of bio-decomposer has been increased and about 1470 farm equipments have been provided to Gram-Sabha. 170 farm machineries have been provided free to the Gram-Sabha. Directions have been issued to transport department to ensure that diesel are used in limited quantity. The actions have been initiated with regard to PUC management, anti-smog guns, control of pollution due to C&D activities, Road Dust management, extensive plantation etc.

10. Shri Gurmeet Singh Meet Hayer, Hon'ble Environment Minister, Punjab enumerated various action initiated for control of stubble burning in the State through ex-situ and in-situ management. It was informed that Punjab has less CRM machines available against the requirement. The available farm machineries are accessed to the farmers with the help of I-khet apps and other platforms.

11. Shri Ashwini Kumar Choubey, HMoS, EF&CC appreciated the efforts made by MoEF&CC, Partner Ministries, CAQM, Government of NCT of Delhi and NCR states and concerned agencies and hoped that with the collaborative efforts of all stakeholders, local administration, regulatory bodies and enforcement agencies, with aggressive awareness campaign at field and villages level, the burning of stubble in field or otherwise can be prevented and controlled to a large extent. He stated that collaborative actions by all concerned central and state agencies shall ensure that the stubble burning is minimized this season.

12. The Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change (MEF&CC) stated that several meetings have been held with CAQM, CPCB, DISCOM, NTPC and state functionaries for the management of air pollution in Delhi NCR. Also, requests were made to other Ministries to convene high level meetings to encourage participatory and coordinated approach of the States and UT of Delhi NCR. Hon'ble MEF&CC urged the State Governments to help coordinate for effective crop residue management, dust management and shifting of industries to cleaner fuels in the ensuing winter harvesting season on priority. Hon'ble Minister also addressed the issue of transition of industries to clean fuels and measures to control particulate matters and continuous emission sources. DISCOMs were directed to ensure un-interrupted power supply for emergency services and during the implementation of Graded Response Action Plan. Hon'ble MEF&CC also requested State Governments to enforce banning of non-compliant DG sets.

Hon'ble MEF&CC suggested State Governments to direct their regulatory bodies and enforcement agencies to keep strict vigil and to intensify actions for effective control of restrictive and non-compliant polluting activities.

In his concluding remarks, HMEF&CC appreciated the actions planned by the States to combat air pollution. He expressed confidence that this participatory and coordinated approach of all stakeholders, regulatory bodies and enforcement agencies, with aggressive awareness campaign will yield positive results.

The Environment Ministers of NCR, GNCTD and Punjab assured their commitment to manage air pollution and to follow all directions of CAQM and the Ministry to address the issues.

The meeting ended with the permission of the Chair.

### **List of Participants (Tentative)**

1. Shri Bhupender Yadav, Hon'ble Minister, EF&CC
2. Shri Ashwini Kumar Choubey, Hon'ble Minister of State, EF&CC
3. Shri Manohar Lal, Chief Minister and Minister for Environment, Haryana
4. Shri Gopal Rai, Minister of Environment, NCT of Delhi
5. Shri Hemaram Choudhary, Hon'ble Minister for Environment & Forest, Rajasthan
6. Shri Gurmeet Singh Meet Hayer, Hon'ble Minister for Environment, Punjab
7. Shri Arun Kumar Saxena, Hon'ble Minister for Environment, Uttar Pradesh
8. Dr. M. M. Kutty, Chairperson, CAQM
9. Shri Naresh Pal Gangwar, Additional Secretary, MoEF&CC
10. Shri Arvind Kumar Nautiyal, Member Secretary, CAQM
11. Dr. O.P. Chaudhary, Joint Secretary, MoFAH&D
12. Shri Suman Majumdar, Deputy Secretary, Ministry of Power
13. Shri Ved Prakash Mishra, Director (CP), MoEF&CC
14. Principal Secretary Environment, GNCTD
15. Dr. Prashant Gargava, Member Secretary, CPCB
16. Shri R.N. Pankaj, Scientist 'D', MoEF&CC
17. Chairman, NDMC
18. Commissioner Municipal Corporation Gurugram
19. Member Secretary, UPPCB
20. Member Secretary, Punjab PCB
21. Member Secretary, Rajasthan SPCB
22. Joint Director Engineering, UP
23. Shri Ramesh Babu, Director (Operations), NTPC Ltd
24. Shri S.P.S. Virk, GM (Biomass), NTPC Ltd
25. Commissioner Agriculture, Department of Agriculture, Govt. of Rajasthan
26. Shri Kunji Lal Meena, Principle Secretary (Urban Development), Govt. of Rajasthan
27. Principal Secretary Agriculture, Rajasthan
28. District Magistrate, Alwar
29. District Magistrate, Ghaziabad

30. Municipal Commissioner, Faridabad Municipal Corporation
31. Punjab Energy Development Agency (PEDA)
32. Rajasthan State Wide Area Network (RajSWAN)
33. Municipal Commissioner, Ghaziabad
34. Meerut Municipal Corporation
35. Noida Municipal Corporation
36. Urban Development Department, GNCTD
37. Regional Office, Noida
38. Regional Office, Meerut
39. Regional Office, Kaithal
40. Punjab Energy Development Agency (PEDA)
41. ADM(E) Gautambudh Nagar
42. Chief Engineer, Govt. Punjab
43. Department of Information Technology & Communication (DOITC), Alwar
44. Bhiwadi Integrated Development Authority (BIDA), Alwar
45. Directorate of Urban Local Bodies Department, Haryana
46. SP, Bhiwadi
47. DC, Gurugram
48. CDO Raebareli
49. CMD, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited (RVPN)
50. Jalandhar Development Authority (JDA), Punjab
51. ADC Gurugram
52. CE Guru Gobind Singh Super Thermal Power Plant (GGSSTP), Ropar

**Record of discussion-Minister Level Inter-Ministerial Meeting on the issues of  
Management of Crop Residue Burning held on 03.08.2023**

An Inter-Ministerial Meeting in hybrid mode to discuss the issues of Management of Crop Residue Burning was held on 03.08.2023 under the Co- Chairmanship of Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare and Hon'ble Union Minister for Environment, Forest & Climate Change. Apart from the Union ministers, the meeting was attended through VC by Shri Gurmeet Singh Khudiyar, Hon'ble Agriculture Minister of Punjab, Shri Jai Prakash Dalal, Hon'ble Agriculture Minister of Haryana, Shri.Gopal Rai, Hon'ble Minister of Environment, Delhi, Secretary, DA&FW, Secretary, MoEF, DG,ICAR, Chief Secretary, Punjab, and other senior officers from DA&FW, MOEF, ICAR, Govt of Punjab, Haryana and Delhi.

The list of participants is at Annexure-I.

After a welcome address, Secretary, DA&FW, briefed about the meeting objectives. He stated that the burning of crop residue in the States of Punjab, Haryana, UP and Delhi has been coming down due to the timely interventions of the Government under Crop Residue Management scheme. Adequate funds have been released to the State Governments in time for providing crop residue machines and establishment of CHCs, so that farmers do not resort to burning of paddy stubble. Further the States and the ICAR institutes have been carrying out intense IEC activities to prevent paddy stubble burning. As a result, the burning events had come down by 31% in the year 2022. Similarly, advance action to further reduce paddy stubble burning in the current year needs to be initiated.

After the introductory remarks of Secretary (DA&FW), the concerned State officers presented their State's preparedness/ plans to check the paddy straw burning events in the current season.

**Government of Punjab:**

- Six districts Pathankot, SBS Nagar, SAS Nagar, Hoshiarpur, Malerkotla &Ropar, is identified for achieving "Zero percent" paddy straw burning during 2023. Other districts is targeted to reduce the Straw burning events by 50% in comparison to 2022.
- Sufficient CRM machines are being made available to the farmers and 20,000 more machines are being added during 2023. New new paddy seed varieties which matures 25-30 days earlier and have 10% of less biomass are being promoted.

- The State has fixed a target of in-situ management of 11.5 million tons of paddy straw with the available machinery in the current season.
- New machines like Surface Seeder for in-situ management of paddy straw is being experimented. Surface Seeder has been under research trial for the last 2 year at PAU and may be covered under CRM/SMAM.
- Under ex-situ management of paddy straw, the Punjab Government is working on bio mass based **Industrial Boiler Plants** of 20 t/hr capacity with total capital cost of Rs 7.5 crores.
- The State sought support of GOI for transport of 10-15 lakh tons of paddy straw to Rajasthan and Gujarat as fodder on subsidized rate to GAUSHAALLA.
- The State also posed a request for supply of 24,000 metric tons of urea in view of the paddy crop damaged in 2.5 lakh acre of farmers field due to flood and re-transplantation of paddy in that area.

**Government of Haryana** : The State informed that a multi-pronged strategy is being followed to prevent paddy stubble burning i.e.

- IEC activities, providing machines, use of pusa decomposers, cash incentives, crop diversification through cash incentives, promoting direct rice seeding and fine for burning of paddy straw. Paddy straw at subsidized rate of Rs 500/acre is also provided to the Gaushalas.
- Scope of supplying paddy straw to the Rajasthan where it is used as cattle feed in their Gaushalas and to Gujarat where it is used in packaging industries needs to be promoted.
- As per the feedback from the farmers, there is a need to improve the quality of the PUSA decomposer to reduce the period of paddy decomposition which is much higher than the period claimed by the scientist/experts.

**Government of Uttar Pradesh**: It was informed that the paddy stubble burning instances have come down in UP and in NCR as a result of implementing the CRM scheme and strict monitoring by the State authorities. Large scale use of decomposers of IARI Pusa in individual field of farmers and for decomposing paddy straw in public pits will be taken up this year. A scheme “**parali Do Khaad lo**” has been successfully implemented in 9 districts of U.P. Under this Scheme, the individual farmers gets the Cow dung manure of the amount equal to the paddy Straw supplied to the Gaushalas. This scheme will also be extended to the other Districts of UP.

## **Government of NCR, Delhi:**

With the joint efforts of Center and State Governments, the Pollution level has been reduced by 30% and at the level of AQI, the nos. of bad days (Severe polluted) has been reduced from 36 days in 2018 to 6 days during 2022. Delhi Government is actively promoting the use of PUSA decomposer for the in-situ management of Paddy Straw. The spraying of decomposer is done under the supervision of the experts of their State department to ensure its maximum efficiency and effectiveness. However, there is a need to reduce the no of days taken to decompose the straw and hence it was suggested to discuss the issue with ICAR scientists to make it more effective and acceptable among the farmers.

**Remarks of Shri Bhupender Yadav, Hon'ble Union Minister of Forest, Environment and Climate Change:** Speaking on the occasion, the Union Minister for Environment stated that efforts to prevent paddy stubble burning for the last five years is bearing good results. Due to the concerted efforts of agencies like Commission for Air Quality Management, burning instances in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, NCT of Delhi has come down. There is a need to encourage ex situ management of paddy straw which will provide raw materials to the user industries like Power, bio mass etc.

**Remarks of the Hon'ble Minister for Agriculture Shri. Narendra Singh Tomar:** The Hon'ble Minister congratulated all the stakeholders for the seriousness that they have shown in addressing the issue of paddy stubble burning. He observed that due to the efforts of all the stakeholders, the events of paddy stubble burning is continuously coming down. However, paddy stubble burning is not just related to pollution of Delhi and its adjoining areas. It is also creating a detrimental effect on the farm land by adversely affecting the soil health and its fertility. Hence, our efforts have to be both for fighting air pollution in Delhi and for protecting the soil health, thereby protecting the ultimate interests of our farmers.

The aim in the current season is to work towards achieving zero stubble burning. The Government of India is providing sufficient funds under CRM scheme to the four States and they must ensure proper utilisation by providing machine to the farmers in a timely manner. There is a need for proper monitoring at the State level to ensure proper utilisation of the machines and the use of bio- decomposer. The focus should also shift on using paddy straw for commercial purpose by way of ex situ management. Awareness creation to prevent stubble burning through various mechanisms needs to be stepped up. Agencies like Agriculture Technology Management Agencies (ATMA) needs to be used to their fullest potential.

**Actionable Points:**

To achieve Zero percent paddy straw burning during 2023 in six districts of Punjab namely; Pathankot, SBS Nagar, SAS Nagar , Hoshiarpur, Malerkotla & Ropar and to reduce the Straw burning events by 50% in comparison to 2022 in other districts. To chalk out the plan to achieve the targets.

Action: Govt. of Punjab

PAU has developed a new Machine Surface Seeder for in-situ management of paddy straw. This machine has been under research trial for the last 2 years at PAU. During 2023-24, Govt. of Punjab have planned for promoting this machine at larger scale and requested its inclusion under the CRM /SMAM Scheme of DA&FW.

Action: M&T Division

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare may facilitate Govt. of Punjab and Govt of Haryana in transporting 10-15 lakh tons of paddy straw to Rajasthan and Gujarat State for supplying straw on subsidized rate to GAUSHAALLA.

Action: M&T Division

In 25 Districts of UP, where incidences of paddy straw burning are more than other districts, villages as HOT SPOTS are being identified and the IEC campaign has been launched to educate farmers in such villages. The govt. of UP will chalk out the plan to curb the paddy straw burning events in the hot spots.

Action: Govt. of U.P.

Govt. of Delhi requested to have a Joint meeting of the Scientists and experts of the ICAR & Ministry to explore the possibility of reducing the decomposition period to 10 to 12 days to make its more effective and acceptable among the farmers.

Action: Govt. of Delhi, DG (ICAR) , M&T Division

Ex-situ management of paddy straw needs to be promoted extensively.

Action: All stakeholders

## List of Participants

Sr.No.	Name	Designation
<b>A</b>	<b>Ministers</b>	
1.	Sh. Narendra Singh Tomar	Union Cabinet Minister for Agriculture and Farmers Welfare
2.	Sh. Bhupender Yadav	Union Cabinet Minister for Environment, Forest & Climate Change
3.	Shri Gurmeet Singh Khudian,	Hon'ble Minister for Agriculture, Punjab
4.	Shri Jai Parkash Dalal,	Hon'ble Minister for Agriculture, Haryana
5.	Shri Surya Pratap Shahi,	Hon'ble Minister for Agriculture, Uttar Pradesh
6.	Shri Gopal Rai,	Hon'ble Minister for Environment, Forest and wild life, Delhi
<b>B</b>	<b>Central Ministries /Department Officers</b>	
7.	Ms. Leena Nandan, Secretary	Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change
8.	Shri Manoj Ahuja,	Secretary, DA&FW
9.	Dr. Himanshu Pathak ,	Secretary (DARE) & Director General (ICAR)
10.	Shri MM Kutty	Chairman, CAQM
11.	Shri Rakesh Ranjan,	Additional Secretary, DA&FW
12.	Shri Tanmay Kumar	Addl. Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change
13.	Dr. Suresh Kumar Chaudhari,	DDG (Natural Resource Management), ICAR
14.	Dr. S.N. Jha,	DDG (Agricultural Engineering),ICAR
15.	Dr. Udham Singh Gautam,	DDG (Agricultural Extension),ICAR
16.	Shri Arvind Nautial,	Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change
17.	Ms. S Rukmani	Joint Secretary, M&T, DA&FW
18.	Dr. Prashant Gargava,	Member Secretary, CPCB
19.	Dr. K.P. Singh,	ADG ( Agril. Engg.), ICAR, New Delhi
20.	Dr Rajbir Singh,	ADG (NRM)-ICAR
21.	Dr Pannalal Singh.	Pr. Scientist, IARI, Pusa

22.	Sh Ved Prakash,	Director, Ministry of Environment, Forest and Climate Change
23.	Shri, C.R. Lohi,	DC (M&T), DA&FW
24.	Shri A.N. Meshram,	DC(M&T), DA&FW
25.	Shri Rajiv Thakur	Agri Engg, (M&T), DA&FW
26.	Shri P.K. Chopra,	Consultant, M&T, DA&FW
<b>C.</b>	<b>State Government Officers</b>	
27.	Shri Sanjeev Kaushal	Chief Secretary, Govt. of Haryana
28.	Shri Anurag Verma,	Chief Secretary, Govt. of Punjab
29.	Shri Devesh Chaturvedi,	Additional Chief Secretary (Agriculture), Govt. of Uttar Pradesh
30.	Sh. K.A. P. Sinha	Additional Chief Secretary, Agri. and Farmers Welfare, Govt. of Punjab
31.	Sh. Vineet Garg,	Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Wild Life, Govt. of Haryana
32.	Shri Narhari Singh Banger	Director, Agri., Govt. of Haryana
33.	Dr. Gurvinder Singh,	Director, Agri. Govt. of Punjab
34.	Sh.. Arshdeep Singh Thind	Secretary Agri, Govt. of Punjab
35.	Sh. Rahul Tiwari,	Secretary, Science and Technology, Govt. of Punjab
36.	Sh. G. S. Majithia,	Member Secretary, PPCB,, Punjab
37.	Sh.Pardeep Kumar	MS, HSPCB, Govt. of Haryana
38.	Er. Jagminder Nain	Joint Director, Agri, Engg., Govt. of Haryana
39.	Shri J.P. Chowdhary,	Joint Direct ( Agri. Engg.), Govt. of UP
1.	Shri A.K. Singh,	Dev. Secretary, Govt. of Delhi

**Record of Discussion  
(20<sup>th</sup> October, 2023)**

**Review Meeting on Air Quality Management in Delhi NCR under the Chairmanship of Hon'ble, Minister of EF&CC**

Hon'ble Minister for Environment, Forest and Climate Change chaired a meeting through video conferencing on 20<sup>th</sup> October, 2023 at 09:00 AM with Hon'ble Minister of State, EF&CC and Hon'ble Ministers for Environment of Delhi & NCR states i.e. Haryana, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh to review Air Quality Management in Delhi NCR.

2. The list of attendees is enclosed as **Annexure-I**.
3. The meeting was commenced with a welcome address by the Secretary, EF&CC followed by opening welcome remarks by the Hon'ble Minister of State, EF&CC.
4. Hon'ble Minister EF&CC in his address complimented NCR states for collective efforts towards the mitigation of air pollution in the Delhi NCR. It was emphasized that continuous progress is required to achieve the milestones in the journey of air pollution-free Delhi NCR and the targets should be higher than the achievements of the last two years. He also directed that suggestions made during the meeting be considered and incorporated appropriately in the winter action plan.
5. Additional Secretary (CP), MoEF&CC apprised the Hon'ble Minister regarding the agenda of the review meeting and invited the Chairperson CAQM for a brief presentation.
6. With permission of the Chair, Member Secretary, CAQM made a presentation with regard to the status and actions taken and steps needed to be taken in the major sectors affecting air quality. The major focus was given to:
  - i. Prevention and control of paddy stubble burning
  - ii. Co-firing of Biomass by TPPs
  - iii. Industrial Pollution- Status of Shifting of industries in NCR to approved fuels
  - iv. Regulations for running of DG Sets in NCR
  - v. Graded Response Action Plan (GRAP)
  - vi. Vehicular Pollution – Cleaner public transport services in NCR
  - vii. Abatement of air pollution from firecrackers
7. CAQM apprised in the meeting that 7442 industrial units out of 7759 in NCR have shifted to approved fuels and the remaining 317 industrial units are either self-closed or closed under the direction(s) of concerned Pollution Control Boards. PNG infrastructure/supply will be available in all the industrial areas by the end of 2023. With regard to the prevention of paddy stubble burning in the coming winter harvesting season, CAQM stated that Haryana and UP have the targets of zero burning cases and Punjab may achieve the target of at least 50% reduction in fire events in 18 districts along with zero cases in 5 districts.

8. With regard to DG Sets, these are permitted for all capacity ranges without emission control only till 31.12.2023 and for emergency purposes.

9. All bus services between NCR cities/towns in the States of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan and Delhi shall be operated only through EV/CNG/BS-VI Diesel buses w.e.f. 01.11.2023

10. Hon'ble Minister for Environment Delhi mentioned that the total number of Days with "Good – Moderate" AQI have been reported more than 200 days in the current year which is a significant increase in comparison to the past two years and indicates that efforts are giving positive results.

11. Hon'ble Minister for Environment Uttar Pradesh appreciated the timely conduction of the review meeting for setting a roadmap for the winter action plan in Delhi NCR. It was informed that war rooms have been established in NOIDA, Greater NOIDA, Ghaziabad for centralized decision-making in air pollution-related matters. The incidents of stubble burning need to be controlled in all the NCR districts with incentivizing the farmers to eliminate the root cause of the problem.

12. Hon'ble Minister for Environment Punjab informed that Punjab is a major producer of agricultural crops in the country and hence parali is also generated in large quantity. It was informed that awareness regarding parali management is gradually increasing among farmers and stubble burning incidents have been reducing on year on year basis.

13. The ACS, Haryana informed that the efforts towards zero stubble burning cases are underway and the number of incidents has been reduced in comparison to the previous year. To achieve the co-firing of biomass pellets in Thermal Power Plants (TPPs) procurement has been started.

14. The ACS, Rajasthan informed that industries in the NCR region of Rajasthan have been shifted to the approved fuel and proper power supply is being ensured for minimizing usage of DG sets. Plantation in all available areas has been increased by 50% in comparison to the same in last year. Further, steps have already been taken to ensure that only BS VI compliant buses are operated in the Delhi NCR region.

15. The Chairperson CAQM emphasized that all the stakeholders and executing agencies were now well aware of the actions to be taken under the GRAP and the need of the hour is to implement action plans on the ground.

16. In his closing remarks, Hon'ble Minister of State, EF&CC called for a collective action against the air pollution problem in Delhi NCR as this is not contained by regional boundaries. Realization of action plans on the ground and adoption of the environment-friendly lifestyle under Mission LiFE was emphasized.

17. Meeting ended with thanks to the Chair.

## **List of Participants**

1. Shri Bhupender Yadav, Hon'ble MoEF&CC
2. Shri Ashwini Kumar Choubey, Hon'ble Minister of State, EF&CC
3. Smt. Leena Nandan, Secretary, MoEF&CC
4. Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Environment, NCT of Delhi
5. Shri Arun Kumar Saxena, Hon'ble Minister for Environment, Uttar Pradesh
6. Shri Gurmeet Singh Meet Hayer, Hon'ble Minister for Environment, Punjab
7. Dr. M.M. Kutty, Chairman, Commission for Air Quality Management for Delhi-NCR & Adjoining Areas (CAQM)
8. Shri Tanmay Kumar, Additional Secretary, MoEF&CC & Chairman, CPCB
9. Shri Naresh Pal Gangwar, Additional Secretary, MoEF&CC
10. Shri Vineet Garg, Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Forests & Wildlife
11. Shri Shikhar Agarwal, Addl. Chief Secretary (Environment), Govt. of Rajasthan
12. Shri Manoj, Kumar Singh, Additional Chief Secretary (Environment), Govt. of UP
13. Shri K.P. Sinha, Special Chief Secretary, (Agriculture), Govt. of Punjab
14. Shri Arvind Kumar Nautiyal, Member Secretary, CAQM
15. Shri Piyush Singh, Joint Secretary, Ministry of Power
16. Ms. S. Rukmani, Joint Secretary, MoA&FW
17. Shri Anil Kumar Singh, Principal Secretary, (Environment), GNCTD
18. Shri Ashwani Kumar, Principal Secretary, (Home), GNCTD
19. Shri A. Anbarasu, Principal Secretary, (PWD), GNCTD
20. Shri Rahul Tiwari, Principal Secretary, (Environment), Govt. of Punjab
21. Shri Ashish Tiwari, Principle Secretary (Environment), Govt. of UP
22. Ms. Sakshi Mittal, Addl. Commissioner MCD (Engg), GNCTD
23. Dr. Saket Kumar, MD UHBVN
24. Dr. Prashant Gargava, Director, MoEF&CC
25. Shri Bharat Kumar Sharma, Member Secretary, CPCB
26. Shri Ajay Kumar Sharma, Member Secretary, UPPCB
27. Shri Vijai N., Member Secretary, Rajasthan SPCB
28. Shri Pradeep Kumar, Member Secretary, Haryana SPCB
29. Shri Rakesh Mishra, Deputy Secretary, MoPNG
30. Shri S.K. Takhele, CGM (Env), NTPC
31. Shri Shri Sudip Nag, ED & Mission Director, NTPC
32. Shri Ramesh Babu, Director (OP), NTPC
33. Shri Joginder Singh, Joint Director (AE), Dept. of Agriculture, Haryana
34. Shri P.K. Chauhan, Superintendent Engineer, DHBVN
35. Shri Mukesh Balodhi, Scientist 'D', MoEF&CC

**Steps taken by CPCB to combat air pollution in Delhi-NCR during the last 03 years**

1. CPCB during 2022 has come out with System and Procedure for Emission Compliance Testing of Retro-fit Emission Control Devices (RECD) for Diesel Power Generating Set Engines up to Gross Mechanical Power 800 kW. RECDs have been developed for DG sets of 209-799 kW capacity and installation of RECDs is in progress in Delhi-NCR. In order to control DG set emissions, CPCB is also funding retrofitment/ upgradation of DG sets in Govt. hospitals in Delhi-NCR and guidelines have been issued in this regard. Under the said guidelines, 100 % funding support is provided for RECD and dual fuel kit installation while 40% funding support is provided for procurement of new gas based Generator sets.
2. Guidelines/ mechanism for use of anti-smog guns in Construction and Demolition projects have been issued.
3. CPCB also provides one-time financial assistance to Municipal Corporations, Municipal Councils and ZillaParishads of the states of Punjab, Haryana, NCT of Delhi and NCR districts of Uttar Pradesh and Rajasthan, for establishing paddy straw based briquetting plants for use of briquettes for cremation purpose only.
4. Installation of VRS system at 3256 petrol pumps in Delhi-NCR in compliance with orders of Hon'ble Supreme Court and Hon'ble NGT.
5. Trial study of various new technologies for control of air pollution have been got conducted by CPCB out of which encouraging results were observed in case of Dust Suppressant for control of emissions at construction sites and road dust. Advisory have been issued for use of dust suppressant by road owning and construction agencies in Delhi-NCR.
6. CPCB has provided funds to Delhi-NCR Urban Local Bodies for procurement of Mechanical Road Sweepers, Anti-smog guns and also for road works and thereby tackle the issue of road dust.
7. CPCB on November 03, 2023 issued Directions under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 to Delhi-NCR SPCBs/ PCCs for strict implementation of actions prescribed under stages of GRAP invoked from time to time, in view of the deteriorated air quality situation in Delhi-NCR.

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न सं. \*47  
07.12.2023 को उत्तर के लिए

एनसीआर और देश में वायु प्रदूषण

\*47. श्री संदीप कुमार पाठक :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई धनराशि और उनके द्वारा व्यय की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के संबंध में पर्यावरण मंत्री द्वारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और अन्य संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों के साथ बुलाई गई बैठकों की सूची का ब्यौरा क्या है;
- (ग) प्रत्येक बैठक में उपस्थित लोगों की सूची और प्रत्येक बैठक के दौरान लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

- (क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

‘एनसीआर और देश में वायु प्रदूषण’ के संबंध में श्री संदीप कुमार पाठक, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 07.12.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. \*47 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) :

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) आरंभ किया, जो 131 अवमानक वायु गुणवत्ता वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति है।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि के दौरान 131 शहरों के लिए 19,711 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है, जिनमें से दस लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों/शहरी समूहों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XVFC) वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत वित्त पोषित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23) के दौरान 131 शहरों को अपने-अपने शहरों में शहरी कार्य योजना लागू करने के लिए 9,103.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

एनसीएपी के तहत 131 लक्षित शहरों वाले 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जारी निधियों और उनके उपयोग का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ख) और (ग):

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली राज्यों के माननीय पर्यावरण मंत्रियों के साथ माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठकों की सूची नीचे दी गई है:

- एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली, एनसीआर राज्यों और पंजाब के माननीय पर्यावरण मंत्रियों की बैठक दिनांक 23.09.2021 को आयोजित की गई।
- एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा के लिए दिल्ली और एनसीआर राज्यों के माननीय पर्यावरण मंत्रियों की बैठक दिनांक 11.10.2022 को आयोजित की गई।
- फसल अवशेष जलाने के प्रबंधन के मुद्दों पर माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की सह-अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी बैठक दिनांक 03.08.2023 को आयोजित की गई।
- दिल्ली और एनसीआर राज्यों के माननीय पर्यावरण मंत्रियों के साथ दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर समीक्षा बैठक दिनांक 20.10.2023 को आयोजित की गई।

प्रत्येक बैठक में की गई चर्चा और लिए गए निर्णयों सहित बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची का विवरण बैठकों की चर्चा के अभिलेख में दिया गया है जो **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।

(घ) :

दिल्ली/एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2021 में गठित एनसीआर और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जुलाई, 2022 में एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है जिसमें फसल अवशेष जलाने के कारण हुए वायु प्रदूषण को कम करने के संबंध में पंजाब राज्य सहित एनसीआर राज्यों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय-सीमा और कार्यान्वयन योजना के साथ लक्ष्य की मात्रा निर्धारित करते हुए सेक्टर विशिष्ट कार्यकलाप निर्धारित किए गए हैं। नीतिगत ढांचे में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे - वाहनीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस परियोजना गतिविधियों से धूल, सड़क और खुले क्षेत्रों की धूल, बायोमास जलाने, कृषि जनित पराली जलाने, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाने, सैनिटरी लैंडफिल में आग और बिखरे हुए स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण आदि के लिए क्षेत्र-वार कार्यकलापों, मात्रात्मक लक्ष्यों और समय-सीमा का विवरण दिया गया है।

सीएक्यूएम की स्थापना के बाद से अब तक पंजाब राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) और एनसीआर क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न निकायों सहित इस क्षेत्र में संबंधित विभिन्न एजेंसियों को कार्यकारी आदेशों के अलावा 78 निदेश और 11 परामर्शिकाएं जारी की गई हैं। इन सामूहिक प्रयासों के कारण इस क्षेत्र में एक्यूआई के स्तर में सामान्य तौर पर सुधार देखा गया है।

वायु गुणवत्ता में गिरावट का समाधान करने के लिए एक्यूआई के आधार पर 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)' के तहत भी कार्यकलाप निर्धारित किए जाते हैं। जीआरएपी के तहत वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर कई आपातक निवारक/प्रतिबंधात्मक कार्यकलाप संचालित करने का निदेश दिया जाता है, जिसे सर्दियों के महीनों के दौरान प्रतिकूल जलवायु और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण दिल्ली में आम तौर पर देखे जाने वाले प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य से निपटने के लिए अभिजात की गई एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जनवरी 2017 में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) अधिसूचित किया गया था। आयोग ने अक्टूबर, 2023 में संशोधित जीआरएपी जारी किया है, जिसे एनसीआर की राज्य सरकारों और जीएनसीटीडी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समिति, सीपीसीबी, आईआईटीएम, पुणे और आईएमडी, नई दिल्ली के प्रतिनिधित्व वाली उप-समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है।

सीएक्यूएम ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्य प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में वायु को प्रदूषित करने वाले उद्योगों, निर्माण एवं विध्वंस स्थलों, डीजी सेटों का गुप्त निरीक्षण करने के लिए दिसंबर 2021 से सीपीसीबी अधिकारियों के 40 दलों की तैनाती की है। दिनांक 24 नवंबर, 2023 तक कुल 16037 इकाइयों/निकायों/परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया है। इन निरीक्षणों के आधार पर, सीएक्यूएम ने 899 मामलों में उन्हें बंद करने के निदेश जारी किए हैं और इनमें से 708 मामलों में पुनःकार्य संचालन के आदेश

जारी किए गए हैं जबकि 132 मामलों में अभी भी बंद रखने के निदेश लागू हैं तथा शेष 59 इकाइयों के मामले अंतिम निर्णय के लिए एसपीसीबी/डीपीसीसी को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की। वर्ष 2018-2022 के दौरान, उक्त योजना के तहत दिल्ली और अन्य राज्यों को जारी की गई कुल धनराशि रु. 2440.07 करोड़ रुपये है जिसका उपयोग करके, 2 लाख से अधिक फसल अवशेष मशीनरी को व्यक्तिगत किसानों और सीएचसी को वितरित किया गया है तथा 39,000 से अधिक सीएचसी स्थापित किए गए हैं।

2. सीपीसीबी द्वारा धान की पराली आधारित पेलेटाइजेशन और टॉरिफेक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जो आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और उत्तरी क्षेत्र में खेतों में धान की पराली को खुले में जलाने के मुद्दे का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। सीपीसीबी द्वारा 1 टीपीएच वाले प्लांट के संयंत्र और मशीनरी के लिए प्रति प्रस्ताव अधिकतम कुल 1.4 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के अधीन अधिकतम 28 लाख रुपये या पूंजीगत लागत की 40% धनराशि, जो भी कम हो, एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से उपयोग के लिए 50 करोड़ रुपये का एक कोष निर्धारित किया गया है। अब तक कुल 7 संयंत्रों को मंजूरी दी गई है: 6 पंजाब में और 1 हरियाणा में।

3. सीपीसीबी के उपर्युक्त दिशानिर्देशों का एक परिशिष्ट भी जारी किया गया था जिसके तहत पंजाब, हरियाणा राज्यों, एनसीटी दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के एनसीआर जिलों के नगर निगमों, नगर परिषदों और जिला परिषदों को केवल शवदाह गृहों के उद्देश्य से ब्रिकेट के उपयोग हेतु धान की पराली आधारित ब्रिकेटिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. सीएक्यूएम द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पराली जलाने की परिपाटी को खत्म करने और नियंत्रित करने के लिए रूपरेखा और संशोधित कार्य योजना को सख्ती से और प्रभावी ढंग से लागू करने के निदेश जारी किए गए हैं।

पिछले 03 वर्षों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सीपीसीबी द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य कदमों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

एनसीएपी के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21,2021-22 और 2022-23 के दौरान 131 लक्षित शहरों में जारी निधियों और उसके उपयोग का राज्य और वर्षवार विवरण									
क्र.सं.	राज्य	जारी की गई निधि				उपयोग की गई निधि			
		वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	कुल	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	वित्तीय वर्ष 22-23	कुल (करोड़ रुपये में)
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7
1	आंध्र प्रदेश	152.28	77.58	75.06	304.92	0.04	2.31	59.70	62.05
2	असम	12.00	0.00	24.10	36.10	0.29	1.27	17.89	19.45
3	बिहार	211.00	88.97	7.09	307.06	8.34	56.20	102.02	166.56
4	चंडीगढ़	5.00	4.61	6.87	16.48	5.13	2.03	4.23	11.39
5	छत्तीसगढ़	120.00	68.70	57.94	246.64	0.08	23.87	53.81	77.76
6	दिल्ली	0.00	11.25	22.50	33.75	0.00	0.00	10.77	10.77
7	हरियाणा	48.00	6.25	19.28	73.53	0.00	0.78	0.00	0.78
8	हिमाचल प्रदेश	10.00	0.48	3.59	14.07	0.09	7.39	5.61	13.09
9	जम्मू एवं कश्मीर	8.00	12.84	32.50	53.34	6.08	2.01	7.84	15.93
10	झारखंड	159.00	72.44	42.00	273.44	0.00	14.83	116.68	131.51
11	गुजरात	405.00	217.71	173.29	796.00	19.31	142.66	343.60	505.57
12	कर्नाटक	280.52	154.67	128.52	563.71	6.94	1.49	3.02	11.45
13	मध्य प्रदेश	300.52	151.20	135.04	586.76	224.92	178.05	103.50	506.47
14	महाराष्ट्र	804.40	453.24	386.83	1644.47	0.51	19.76	449.49	469.76
15	मेघालय	3.00	0.00	0.45	3.45	0	1.89	0.95	2.84
16	नगालैंड	6	0.93	3.95	10.88	0	0.00	1.62	1.62
17	ओडिशा	6.04	3.64	38.52	48.20	0.23	3.23	42.33	45.79
18	पंजाब	105.04	33.75	56.88	195.67	0.06	15.90	117.93	133.89
19	राजस्थान	284.80	122.94	103.76	511.50	0.69	9.86	351.30	361.85
20	तमिलनाडु	236.00	131.70	129.22	496.92	102.50	192.05	176.22	470.77
21	तेलंगाना	247.76	118.79	92.96	459.51	34.51	186.28	157.51	378.30
22	उत्तर प्रदेश	726.16	218.63	672.79	1617.58	44.10	354.67	607.40	1006.17
23	उत्तराखंड	11.00	5.67	22.30	38.97	0.20	1.53	14.80	16.53
24	पश्चिम बंगाल	432.00	165.60	173.42	771.02	6.93	161.23	7.06	175.22
	<b>कुल</b>	<b>4573.52</b>	<b>2121.59</b>	<b>2408.86</b>	<b>9103.97</b>	<b>460.95</b>	<b>1379.29</b>	<b>3241.54</b>	<b>5081.78</b>

चर्चा का अभिलेख

एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए एनसीआर और पंजाब के माननीय मंत्रियों की बैठक

दिनांक : 23.09.2021

स्थान : हाइब्रिड (वास्तविक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)

1. आगामी कटाई के मौसम के दौरान पराली (धान की पराली) जलाने से होने वाले खराब वायु प्रदूषण की स्थिति के प्रति तैयारियों पर चर्चा करने और किसी भी ऐसे मुद्दे, जिसके लिए एक सुसमन्वित दृष्टिकोण के लिए किसी अंतर-राज्य और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की आवश्यकता है, के समाधान के लिए दिनांक 23.09.2021 को 10:30 बजे माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में एनसीआर और पंजाब राज्य के माननीय पर्यावरण मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी।
2. बैठक में श्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री सुखराम बिश्नोई, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार, श्री. गोपाल राय, माननीय पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री, एनसीटी-दिल्ली सरकार, श्री दारा सिंह चौहान, माननीय वन, पर्यावरण एवं प्राणी उद्यान मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के सचिव, एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य सचिव ने भाग लिया।
3. माननीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि एनसीआर में वायु प्रदूषण चिंता का कारण है और इसके स्रोत विविध हैं। क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले प्रमुख स्रोतों में मौसम के दौरान पराली के जलने से उत्पन्न उत्सर्जन और वाहन, ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक उत्सर्जन जैसे अन्य निरंतर उत्सर्जन स्रोत शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीएक्यूएम का गठन एनसीआर की राज्य सरकार की भागीदारी से किया गया है और यह राज्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य कर रहा है। सीएक्यूएम द्वारा कई परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं और परामर्शिकाएं (8) एवं निदेश (42) जारी किए गए हैं। पराली के उपयोग को संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए राज्यों के संबंधित विभागों के परामर्श से केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रयासों और विकल्पों पर भी काम किया जा रहा है।
4. उन्होंने पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पहले से ही उपायों की योजना बनाने की तैयारियों के लिए और अब तक किए गए समन्वित कार्यों के लिए राज्यों की सराहना की।
5. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पराली को संसाधनों के रूप में उपयोग करने की संभावनाओं जैसे-बिजली संयंत्रों में पूरक-उपयोग, राजस्थान और गुजरात जैसे चारे की कमी वाले क्षेत्रों में चारे के रूप में प्रयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए पिछले 45 दिनों में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ 12 से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं। टास्क फोर्स का गठन चारा परिवहन की योजना उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। एनटीपीसी और एनसीआर में अन्य ताप

विद्युत संयंत्रों को पूरक ईंधन के रूप में 5-10% बायोमास का उपयोग करने का निदेश दिया गया है और इस संबंध में सक्षम बनाने वाले कुछ नीतिगत कार्यकलाप विद्युत मंत्रालय के पास विचाराधीन हैं।

6. डॉ. एमएम कुट्टी ने आगामी कटाई के मौसम में धान की पराली को जलाने की रोकथाम के लिए कार्य योजना पर राज्य प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा मशीनें आवंटित करने के लिए आईटी-सक्षम चल उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है , और ऐसी मशीन का उपयोग अधिक होगा। इसी प्रकार, सभी राज्यों ने जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से जैव-अपघटन को बढ़ावा देने के लिए तेजी से प्रयास किए हैं। उन्होंने गैर-कृषि मुद्दों के कार्यान्वयन के लिए कुछ संभावित विकल्पों पर भी प्रकाश डाला, जिन्हें संबंधित राज्यों द्वारा लागू करने की आवश्यकता है।
7. हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि राज्य ने पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया है, जिसमें मशीनें उपलब्ध कराना, प्रोत्साहन, पिछले वर्ष सक्रिय आग की घटनाओं के संबंध में लाल और नारंगी श्रेणी के रूप में अभिज्ञात किए गए गांवों की निगरानी और प्रत्येक जिले और तालुक में निगरानी-सह-प्रवर्तन समिति का गठन शामिल है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार ने इस वर्ष पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने उन उद्योगों के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन विकल्पों के उपयोग के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया, जहां एलपीजी/सीएनजी/पीएनजी बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है।
8. ईंधन के रूप में बायोमास पर आधारित दो बिजली संयंत्रों (6 एमई + 60 मेगावाट) कमीशनिंग के अधीन हैं, जो लगभग 12 लाख मीट्रिक टन पराली की खपत करेंगे। हरियाणा में फर्नेस ऑयल और टायर पायरोलिसिस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और लगभग 40000 मीट्रिक टन से अधिक संपीड़ित बेलिंग सुविधा संचालित है। धान की पराली का उपयोग करने वाले 100 किलोलीटर के इथेनॉल संयंत्रों को भी विकसित किया जा रहा है। सभी ईट भट्टों को मिश्रित तकनीक में परिवर्तित कर दिया गया है। डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।
9. माननीय पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री, एनसीटी-दिल्ली सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूसा बायो डीकंपोजर का उपयोग करके, लगभग 2000 एकड़ का उपचार किया गया और मिट्टी के संवर्धन और बाढ़ की फसल में सुधार दोनों के मामले में बहुत उत्साहजनक परिणाम देखा गया है। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन को क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजना के बजाय एयर-शेड दृष्टिकोण के रूप में लिया जाएगा। दिल्ली सरकार अपने इलेक्ट्रिकल वाहन के माध्यम से ईवी के खरीददारों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए हॉट स्पॉट प्रबंधन भी शुरू किया गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्सर्जन को कम करने के लिए पुराने डीजी सेटों को रिट्रोफिट करने के लिए प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुपालन में निर्मित नव-स्थापित स्मॉग टॉवर के बारे में बात की और अन्य राज्यों से भी इसे अपनाने का अनुरोध किया। दिल्ली में सभी उद्योग पीएनजी पर चल रहे हैं। धूल निरोधी अभियान, रेड लाइट ऑन-गाड़ी ऑफ अभियान के

अच्छे परिणाम मिले हैं और इसे अन्य राज्यों, विशेष रूप से गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव द्वारा अपनाया जा सकता है।

10. माननीय वन, पर्यावरण और प्राणी उद्यान मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली के जैव-अपघटन की सफलता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य ने इस मौसम में 10 लाख से अधिक एकड़ क्षेत्र की योजना बनाई है। एक बहुत ही सफल योजना "पराली लाओ-खाद ले जाओ" का भी कई किसान लाभ उठा रहे हैं। पराली का उपयोग गौशाला में चारे में भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश धूल प्रबंधन प्रकोष्ठ" संचालित करने वाला पहला राज्य था और इंडो-गैंगेटिक एयर शेड में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एयर शेड दृष्टिकोण पर विश्व बैंक के साथ काम कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जियो-टैगिंग के साथ 23 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है।
11. पंजाब सरकार ने सूचित किया कि किसानों द्वारा मशीनरी के आवंटन और अनुकूलित उपयोग के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया गया है। आईटी-सक्षम उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। गैर-बासमती धान की खेती में उल्लेखनीय कमी आई है और अनुमान है कि कटाई लंबी अवधि तक रुक सकती है। उद्योगों को स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करने और उद्योग में ईंधन के रूप में धान की भूसी के साथ पराली को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन निधि का प्रावधान किया गया है। धार्मिक नेता और स्थानीय प्रेरक स्थानीय किसानों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। 28 महत्वपूर्ण स्थलों/क्षेत्रों की पहचान की गई है और प्रवर्तन उपायों को मजबूत किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया कि केंद्र सरकार पारंपरिक ईंधन आधारित बॉयलरों की तुलना में उपकरण और प्रक्रिया की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त वित्तीय देनदारी को कवर करने के लिए बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए वीजीएफ प्रदान करने पर विचार कर सकती है। इससे छोटे और मध्यम उद्योग में ईंधन के रूप में पराली के उपयोग में सुधार होगा। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया गया कि एनटीपीसी से बायोमास में पराली संघटक को शामिल करने का अनुरोध किया जाए ताकि विपणन की अच्छी धारणा बनाई जा सके और किसानों को यह आश्वासन दिया जा सके कि पराली ईंधन के लिए एक संसाधन है।
12. अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय ने बताया कि ईंधन के रूप में बायो-मास के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मेरिट ऑर्डर डिस्पैच जैसे नीतिगत स्तर के सहयोगों का विस्तार करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ईंधन के रूप में बायो-मास के उपयोग के लिए समर्थक सहयोग करने हेतु एसआरईसी और सीआरईसी को कुछ नियामक परामर्शिका जारी करने पर भी विचार कर रहा है।
13. एनटीपीसी ने सूचित किया कि बायोमास के घटक के रूप में न्यूनतम 50% धान की पराली के उपयोग की शर्त को भविष्य की निविदाओं में शामिल किया जाएगा। अगले 3 वर्षों के लिए 20 मिलियन की निविदा प्रक्रिया में है और आगामी मौसम से सामग्री उठाए जाने की उम्मीद है। पंजाब राज्य से सामग्री उठाने में सहायता के लिए निविदा दस्तावेज़ में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। बिजली उत्पादन की लागत पर प्रभाव 5 पैसे प्रति यूनिट है और इसे ग्राहक तक पहुंचाया जा सकता है।

14. संयुक्त सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, भारत सरकार, जो राजस्थान और गुजरात के चारे की कमी वाले क्षेत्रों में चारे के रूप में गैर-बासमती पराली के उपयोग के लिए तंत्र उपलब्ध कराने हेतु गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व भी कर रहे हैं, ने कार्य में हुई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुजरात (कच्छ) और राजस्थान (जैसलमेर) ने 225000 मीट्रिक टन और 30,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता के बारे में सूचित किया है। चारे की आवाजाही, स्रोत स्थान से गन्तव्य स्थान तक उसके परिवहन के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। राज्य स्तर पर राहत कोष पर भी विचार के बाद उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए निधि के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। यह भी बताया गया कि सरकारी मशीनरी आगामी मौसम में संग्रहण, प्रसंस्करण और परिवहन करने की स्थिति में नहीं भी हो सकती है, हालांकि, इस क्षेत्र में काम करने वाले निजी उद्यमियों के साथ बातचीत से संभावनाएं बढ़ी हैं।
15. संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण, ने सूचित किया कि स्व-स्थाने प्रबंधन का समर्थन करने के लिए उनकी योजना के तहत तीसरी किस्त प्रक्रियाधीन हो गई है और इस सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। बताया गया कि विशेष रूप से पंजाब में कस्टम हायरिंग सेंटरों पर मशीनरी की उपलब्धता को सुदृढ़ करना है और क्षेत्र स्तर पर बेहतर समन्वय बनाकर इसके उपयोग में सुधार करना है।
16. माननीय पर्यावरण और वन मंत्री ने अपनी समापन टिप्पणी में इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्यों और सीएक्यूएम द्वारा सूचित तैयारी कार्य से पता चलता है कि कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के अधीन आगामी मौसम में पराली जलाने में काफी कमी हासिल की जा सकती है। स्थानीय प्रशासन और निगरानी तंत्र के प्रयास महत्वपूर्ण हैं और हम सभी को एक टीम के रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम करना जारी रखना होगा। वास्तविक समय डेटा साझा करने के लिए नव विकसित सक्रिय अग्नि निगरानी प्लेटफॉर्म के उपयोग से करीबी निगरानी में मदद मिलेगी। राज्यों (दिल्ली - 4000 एकड़, पंजाब - 5 लाख एकड़ से अधिक, हरियाणा - 1 लाख एकड़ से अधिक, उत्तर प्रदेश - 10 लाख एकड़ से अधिक) द्वारा की गई जैव-अपघटन पहल का व्यापक उपयोग प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसे ताप विद्युत संयंत्रों में ईंधन पूरक के रूप में, संपीड़ित बायो-गैस संयंत्रों और अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल में पराली के वैकल्पिक उपयोग की दिशा में पहलों द्वारा आगे भी सहयोग मिला है। इससे पराली को संसाधन के रूप में पहचानने में मदद मिलेगी और किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत का अवसर मिलेगा।
17. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीएक्यूएम का गठन एनसीआर क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एयर-शेड दृष्टिकोण के उद्देश्य से किया गया है और राज्य सरकारों से सीएक्यूएम को समर्थन और भागीदारी की सराहना की जाती है और यह परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।
18. अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

**प्रतिभागियों की सूची :**

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पदनाम
1.	श्री भूपेन्द्र यादव	माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
2.	श्री मनोहर लाल खट्टर	माननीय पर्यावरण मंत्री, हरियाणा सरकार
3.	श्री सुखराम बिस्नोई	माननीय पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार
4.	श्री गोपाल राय	माननीय पर्यावरण मंत्री, दिल्ली एनसीटी सरकार
5.	श्री दारा सिंह चौहान	माननीय पर्यावरण मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
6.	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
7.	श्री नरेश पाल गंगवार	संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
8.	श्री एम.एम. कुट्टी	अध्यक्ष, एनसीआर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में सीएक्यूएम
9.	श्री तन्मय कुमार	अध्यक्ष, सीपीसीबी
10.	श्री विवेक देवांगन	अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय
11.	सुश्री सोमिता विश्वास	संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
12.	डॉ. ओ.पी. चौधरी	संयुक्त सचिव, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय
13.	श्री प्रशांत गार्गव	सदस्य सचिव, सीपीसीबी
14.	श्री ए.के. नौटियाल	सदस्य सचिव, एनसीआर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में सीएक्यूएम
15.	श्रीमती श्रेया गुहा	प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान
16.	प्रो. (डॉ.) आदर्श पाल विग	अध्यक्ष, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
17.	श्री क्रुणेश गर्ग	सदस्य सचिव, पीपीसीबी
18.	श्री संजीव खिरवार	प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
19.	डॉ विजय सिंघल	सीईई, राजस्थान एसपीसीबी
20.	श्रीमती शैलजा देवल	सदस्य सचिव, राजस्थान एसपीसीबी
21.	श्री आशीष तिवारी	सदस्य सचिव, यूपीपीसीबी
22.	श्री सैयद मुसव्विर अली	सदस्य सचिव, डीपीसीसी
23.	श्री दिलीप कुमार	प्रधान सचिव, पंजाब सरकार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग
24.	डॉ. गुरदीप सिंह	सीएमडी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी)
25.	डॉ. रमेश बाबू	एनटीपीसी
26.	श्री अंकुर गर्ग	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी)
27.	श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह	यूपीपीसीबी
28.	श्री एस.के.दत्ता	एनएलएम प्रभाग
29.	श्री विविक राँय	सीईओ यूपीपीसीबी (मेरठ)
30.	श्री संदीप	निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
31.	श्री आर.एन. पंकज	वैज्ञानिक 'डी', पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
32.	श्री प्रसून त्रिपाठी	अवर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
33.	श्री विनीत कुमार मल्ल	अनुसंधान सहायक, एमओईएफ और सीसी

**क. पंजाब और हरियाणा राज्य में तुलनात्मक सक्रिय आग की घटनाएँ**

- पंजाब और हरियाणा राज्यों में सक्रिय आग की घटनाएँ (एएफई):

राज्य	वर्ष (2016)	वर्ष (2019)	वर्ष (2020)	% वृद्धि या कमी
पंजाब	80930	53003	76590	<b>44.5% बढ़ोतरी</b>
हरियाणा	12564 (2017)	6652	5000	<b>25% कमी</b>

- **पंजाब** : चिंताजनक स्थिति वाले जिले

संगरूर, भठिंडा फिरोजपुर मोगा,  
लुधियाना फाजिल्का

- हरियाणा : चिंताजनक स्थिति वाले जिले- करनाल, कैथल और फतेहाबाद

**ख. पराली जलाने पर प्रतिबंध लागू करना**

राज्य	दर्ज एफआईआर/शिकायत	अभिज्ञात किए गए मामलों की सं.	एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) (₹.)
हरियाणा (2016 से)	464	4787 (जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति- डीएलसीसी)	86.46 लाख
पंजाब (2018 से)	1785	40330 (ईसी लगाया गया)	41.00 लाख

**पराली का स्व-स्थाने प्रबंधन**

- खेतों में कटाई के बाद बची हुई पराली का जैव-अवक्रमण एक चिंता का विषय है, क्योंकि जल्दी बुआई के लिए खेत को तैयार करने हेतु, किसान इस पराली को खेत में जला देते हैं, जिससे क्षेत्र में अत्यधिक वायु प्रदूषण का स्रोत पैदा होता है।
  - सीएचसी को उपलब्ध/प्रदान की गई स्व-स्थाने प्रबंधन मशीनरी का इष्टतम उपयोग।
  - जैव-अपघटन प्रौद्योगिकियों का उपयोग।
  - उत्तर प्रदेश में तेजी से सक्रिय योजनाओं को लागू किया गया है और संसाधन के रूप में पराली के बेहतर उपयोग हेतु किसानों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है:

क. गौशाला में चारे के रूप में उपयोग

ख. खाद तैयार करने हेतु साझा सुविधा-केन्द्र

ग. खेत में स्व-स्थाने जैव खाद बनाना। किसानों द्वारा बायो कम्पोस्टिंग को सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है, बड़े पैमाने पर स्व-स्थाने बायो-कम्पोस्टिंग की योजना बनाई गई है (1 लाख कैप्सूल)।

### शुरू की गई कार्रवाई :

1. एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का गठन दिनांक 28.10.2020 को एक अध्यादेश (2020 का 13) के प्रख्यापन के माध्यम से किया गया है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिनांक 13.08.2021 को एक अधिनियम पारित करके अधिनियमित किया गया था।
2. सीएक्यूएम ने कई कदम उठाए हैं और हितधारकों के साथ बैठकें की हैं और कुल मिलाकर 8 परामर्शिकाएं और 42 निदेश जारी किए हैं।
3. सीएक्यूएम ने एसपीसीबी के परामर्श से राज्यों की व्यापक कार्य योजना को संशोधित किया है और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कार्य योजना के कार्यान्वयन के बारे में विवरण संसूचित किया है। कार्य योजना की सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि राज्यों में योजनाओं को किस प्रकार लागू किया जाएगा।
4. पंजाब में उत्पन्न पराली का उपयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, रेल मंत्रालय और पंजाब सरकार की मदद से कच्छ, गुजरात में पशु-आहार (चारे) के रूप में किया जाएगा।
5. संयुक्त सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के अधीन एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान राज्यों के आयुक्त (कृषि), गुजरात और राजस्थान के आयुक्त (पशुपालन) आयुक्त (राहत) और पंजाब तथा हरियाणा राज्य के आयुक्त (परिवहन) सदस्य हैं। इस टास्क फोर्स को गुजरात और राजस्थान सरकार गैर-बासमती धान की पराली (चारे) की यथार्थ मांग और वार्षिक आवश्यकता का अनुमान उपलब्ध कराएंगी तथा पंजाब और हरियाणा सरकार बेलिंग, संग्रहण, भंडारण के लिए लागत अनुमान उपलब्ध कराएंगी।
6. पराली बायोमास का उपयोग कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में पूरक ईंधन के रूप में किया जाएगा। एनटीपीसी ने मंजूरी दे दी है कि बॉयलर में किसी भी संशोधन के बिना टीपीपी में 5-10% तक के अनुपात में कोयले के साथ धान की पराली सहित बायोमास पेलेट्स का सह-दहन करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य और कार्यान्वयन योग्य है। इसलिए, पूरे देश में टीपीपी में बायो-पेलेट्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्युत मंत्रालय ने सीईए, एनटीपीसी, डीवीसी और एनएलसी के प्रतिनिधियों के साथ बायोमास के उपयोग के लिए राष्ट्रीय बायोमास मिशन शुरू किया है।

7. सीएक्यूएम ने एनसीआर में स्थित सभी टीपीपी को अपने बाँयलरों में पूरक ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग करने का निदेश जारी किया है। कई राज्य सरकारें अन्य उद्योगों को भी कोयले के विकल्प के रूप में बायो-मास आधारित ईंधन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।
8. इसरो, कृषि मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार की मदद से सक्रिय आग की घटना का उपग्रह आधारित अनुमान और अंकन और क्षेत्र अधिकारी को इस संबंध में वास्तविक समय में संसूचित करने का कार्य संचालित किया गया है।
9. सभी राज्यों ने पराली जलाने को हतोत्साहित करने के लिए किसानों को जागरूक करने हेतु तेजी से जागरूकता अभियान चलाया है।
10. कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों और कस्टोमर हायरिंग सेंटरों को मशीनरी और उपकरण प्रदान करके पराली के स्व-स्थाने प्रबंधन के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए पंजाब (331.94 करोड़ रुपए), हरियाणा (193.35 करोड़ रुपए) और उत्तर प्रदेश (159.95 करोड़ रुपए) और आईईसी गतिविधियों (5 करोड़ रुपए) को 690.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
11. पराली प्रबंधन की सरकार की योजना के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए निजी उद्यमियों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमों को शामिल किया जाएगा।

## पूसा जैव-अपघटक प्रौद्योगिकी

- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली द्वारा विकसित
- इस उत्पाद के 4 कैप्सूल को 25 लीटर तरल फॉर्मूलेशन तक बढ़ाया जा सकता है जिसे 4-5 टन धान की पराली वाले 1.0 हेक्टेयर (2.471 एकड़) धान के खेत में स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है।
- जैसा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में सूचित किया गया है, यह 20-25 दिनों में फसल/धान के अवशेषों को खाद में बदलने में तेजी लाता है।

### पूसा जैव-अपघटक प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना

हरियाणा	राज्य में किसानों को 1 लाख एकड़ भूमि के प्रबंधन हेतु निःशुल्क
दिल्ली	कुल 14600 एकड़ क्षेत्रफल में से धान फसल वाले 4000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में उपयोग करने की योजना है।
उत्तर प्रदेश	सरकार द्वारा 10 लाख कैप्सूल (6.1 लाख एकड़) निःशुल्क।
पंजाब	सरकार का लक्ष्य लगभग 7413 एकड़

### निजी उद्यम (यूपीएल, बैंगलोर)

- पंजाब और हरियाणा में 5 लाख एकड़ से अधिक का लक्ष्य
- 25,000 से अधिक किसान पंजीकृत (जिलेवार विवरण संलग्न)
- कंपनी द्वारा प्रयोग हेतु प्रति एकड़ 500 रु. की लागत लेकिन किसानों के लिए मुफ्त

**चर्चा का अभिलेख**  
(11-अक्टूबर-2022)

**माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा के लिए माननीय पर्यावरण मंत्रियों की बैठक**

श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में 11.10.2022 को सुबह 09.00 बजे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब के माननीय पर्यावरण मंत्रियों, जीएनसीटी दिल्ली और अन्य अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे भी बैठक में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। धान की कटाई के मौसम और दिवाली त्योहार के कारण आने वाली सर्दियों में प्रत्याशित वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

2. अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने एनसीआर राज्यों के माननीय पर्यावरण मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया।

3. अध्यक्ष की अनुमति से, एनसीआर और निकटवर्ती में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने प्रमुख पहचाने गए क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति पर एक प्रस्तुति दी:

- i. कृषि अवशेष जलाना,
- ii. औद्योगिक प्रदूषण एवं डीजी सेट से प्रदूषण,
- iii. वाहन प्रदूषण और विद्युत परिवहन,
- iv. सड़क और खुले क्षेत्रों से धूल, हरियाली/वृक्षारोपण,
- v. निर्माण और विध्वंस गतिविधि से धूल,
- vi. बायोमास/एमएसडब्ल्यू का जलना/एसएलएफ स्थलों में आग,
- vii. पटाखे फोड़ने जैसी प्रासंगिक घटनाएँ,
- viii. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी),
- ix. निगरानी एवं प्रवर्तन

आयोग ने बताया कि विभिन्न संबंधित एजेंसियों को विभिन्न क्षेत्रों में लक्षित लघु/मध्यम/दीर्घकालिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। यह भी बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं में कमी देखी गई है, और राजस्थान में पराली जलाने का कोई मामला सामने नहीं आया है। धान के अवशेष जलाने की घटनाओं के आंकड़ों का हवाला देते हुए, आयोग ने माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से राज्यों को कस्टम हायरिंग सेंटरों और सहकारी समितियों के माध्यम से सीआरएम योजना के तहत उपलब्ध मशीनरी के उपयोग के लिए इन-सीटू प्रबंधन के लिए कार्रवाई में तेजी लाने और बायो-डीकंपोजर के अनुप्रयोग के लिए क्षेत्र का विस्तार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

सीएक्यूएम द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए एक नया संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) परिचालित किया गया है। लोगों की बेहतर समझ के लिए इसे अब वायु गुणवत्ता सूचकांक से जोड़ा गया है। अब अग्रिम रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए गए हैं। स्वीकृत ईंधनों की एक मानक सूची जारी की गई है और ठोस और तरल ईंधन को समाप्त करने का कड़ाई से लक्ष्य रखा गया है। ईंधन के रूप में बायोमास को मंजूरी और बढ़ावा दिया गया है। बड़ी संख्या में उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है, कुछ को अधिसूचित किया गया है और कुछ को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पीएनजी/सीएनजी आपूर्ति के तहत अधिक क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है।

दिल्ली एनसीआर में डीजी सेट के प्रयोग को खत्म करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। पटाखे फोड़ने के मामले में माननीय न्यायालयों के आदेशों का पालन किया जाता है और केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति है। इस दिवाली के मौसम में गैर हरित पटाखों के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए इस पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी। सकारात्मक परिणामों के साथ सड़क की धूल और निर्माण एवं विध्वंस कचरे के प्रबंधन के लिए सीएक्यूएम द्वारा लगातार प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

4. एनसीआर राज्यों और एनसीटी दिल्ली के माननीय पर्यावरण मंत्रियों ने अध्यक्ष को अपने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निम्नलिखित के संबंध में तैयारियों के बारे में अवगत कराया: (i) कृषि (धान) पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण और विभिन्न बाह्य-स्थाने और स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कार्य योजना। (ii) निरंतर स्रोतों से विविक्त कणों और उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय: डीजी सेट, वाहन, औद्योगिक, सी एंड डी गतिविधियां, सड़क और खुले क्षेत्रों से धूल, हरियाली आदि।

5. हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री एवं पर्यावरण मंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा में वायु प्रदूषण निवारण के लिए उठाए गए प्रभावकारी कदमों से अवगत कराया। यह बताया गया कि पराली के प्रबंधन के लिए बाह्य-स्थाने कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और पिछले 4 वर्षों में किसानों को लगभग 72,777 मशीनें वितरित की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-स्थाने प्रबंधन के तहत 23 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेषों का उपयोग विभिन्न मशीनों और डीकंपोजर के माध्यम से किया जाएगा और 13 मीट्रिक टन फसल अवशेषों का उपयोग बाह्य-स्थाने प्रबंधन के तहत किया जाएगा। किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये का प्रोत्साहन 'बेलिंग' के लिए दिया जा रहा है और गौशालाओं में 'बेलों' को ले जाने के लिए प्रति एकड़ 500 रु. दिए जा रहे हैं। 2 लाख मीट्रिक टन अवशेष प्रबंधन की आपूर्ति के लिए पानीपत में 2जी-बायो-इथेनॉल संयंत्र के लिए आईओसीएल द्वारा पहचाने गए क्लस्टर को कुल 1000/-रु./एमटी प्रदान किया जा रहा है। एनटीपीसी को आपूर्ति के लिए 20 लाख मीट्रिक टन ब्रिकेट/पैलेट उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं जारी की गई हैं।

6. श्री हेमाराम चौधरी, माननीय पर्यावरण मंत्री, राजस्थान ने राजस्थान के एनसीआर जिलों में वायु प्रदूषण निवारण के लिए की गई कार्रवाई और प्रगति के बारे में अवगत कराया और यह सुनिश्चित किया गया कि सीएक्यूएम के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। 525 औद्योगिक इकाइयों में से 300 को पीएनजी में

परिवर्तित कर लिया गया है, 52 इकाइयां बंद हो गई हैं और 23 इकाइयां जल्द ही बंद हो जाएंगी। अन्य इकाइयां अपने क्षेत्र में पीएनजी आपूर्ति की समस्या का सामना कर रही हैं। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के साथ हरित आवरण के अंतर्गत क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है।

8. एनसीटी दिल्ली के माननीय पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने बताया कि उन्होंने 15-सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है जिसे 30 सितंबर 2022 को आरंभ किया जाएगा। माननीय मंत्री ने आगामी शीतकालीन प्रदूषण के मद्देनजर शुरू की गई विभिन्न कार्रवाई पर अद्यतन जानकारी दी। जिसमें बायो-डीकंपोजर अनुप्रयोगों में सुधार, एंटी-स्मॉग गन की स्थापना, पीयूसी प्रबंधन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, बायोमास जलने की निगरानी, उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित करना, पटाखों पर प्रतिबंध, पर्यावरण मित्र की स्थापना, विद्युत संचालित सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, जागरूकता अभियान आदि शामिल हैं। माननीय मंत्री ने सुझाव दिया कि वरिष्ठ अधिकारी के अधीन एक क्षेत्रीय कार्य बल गठित करने की आवश्यकता है जिसे जमीनी स्तर पर कार्य योजना के कार्यान्वयन को देखने के लिए औचक निरीक्षण करने की आवश्यकता है।

9. डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, माननीय पर्यावरण मंत्री, उत्तर प्रदेश ने माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में वायु प्रदूषण उन्मूलन के लिए की गई कार्रवाइयों और की गई प्रगति से अवगत कराया। बताया गया कि सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। बायो-डीकंपोजर का प्रयोग बढ़ाया गया है और ग्राम-सभा को लगभग 1470 कृषि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। ग्राम-सभा को 170 कृषि यंत्र निःशुल्क उपलब्ध कराये गये हैं। परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं कि डीजल का उपयोग सीमित मात्रा में हो। पीयूसी प्रबंधन, एंटी-स्मॉग गन, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण, सड़क धूल प्रबंधन, व्यापक वृक्षारोपण आदि के संबंध में कार्रवाई शुरू की गई है।

10. श्री गुरुमीत सिंह मीत हेयर, पंजाब के माननीय पर्यावरण मंत्री, ने बाह्य स्थाने और स्व-स्थाने प्रबंधन के माध्यम से राज्य में पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए शुरू की गई विभिन्न कार्रवाइयों के बारे में बताया। यह बताया गया कि पंजाब के पास आवश्यकता के मुकाबले कम सीआरएम मशीनें उपलब्ध हैं। उपलब्ध कृषि मशीनरी को आई- खेत ऐप्स और अन्य प्लेटफार्मों की मदद से किसानों तक पहुंचाया जाता है।

11. श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने एमओईएफ एंड सीसी, भागीदार मंत्रालयों, सीएक्यूएम, एनसीटी दिल्ली सरकार और एनसीआर राज्यों और संबंधित एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि सभी हितधारकों, स्थानीय प्रशासन, नियामक निकायों और प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोगात्मक प्रयासों से, खेतों और गांवों के स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान से खेतों में या अन्यथा पराली जलाने को काफी हद तक रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सहयोगात्मक कार्रवाई यह सुनिश्चित करेगी कि इस मौसम में पराली जलाना कम से कम हो।

12. माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (एमईएफ एंड सीसी) ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए सीएक्यूएम, सीपीसीबी, डिस्कॉम, एनटीपीसी और राज्य पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें आयोजित की गई हैं। साथ ही, अन्य मंत्रालयों से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एनसीआर की भागीदारी और समन्वित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें बुलाने का अनुरोध किया गया था। माननीय एमईएफ एंड सीसी ने राज्य सरकारों से प्राथमिकता के आधार पर आगामी शीतकालीन कटाई के मौसम में प्रभावी फसल अवशेष प्रबंधन, धूल प्रबंधन और उद्योगों को स्वच्छ ईंधन में स्थानांतरित करने के लिए समन्वय में मदद करने का आग्रह किया। माननीय मंत्री ने उद्योगों को स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करने और विविक्त कणों और निरंतर उत्सर्जन स्रोतों को नियंत्रित करने के उपायों के मुद्दे को भी उठाया। डिस्कॉम को आपातकालीन सेवाओं के लिए और ग्रेड्ड रिस्पांस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने राज्य सरकारों से मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले डीजी सेटों पर प्रतिबंध लगाने का भी अनुरोध किया।

माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने राज्य सरकारों को अपने नियामक निकायों और प्रवर्तन एजेंसियों को कड़ी निगरानी रखने और प्रतिबंधात्मक तथा निदेशों का अनुपालन न करने वाली प्रदूषणकारी गतिविधियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई तेज करने का निदेश देने का सुझाव दिया।

अपने समापन भाषण में, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों द्वारा किए गए योजनाबद्ध कार्यों की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युद्ध स्तर पर किए गए जागरूकता अभियान के साथ सभी हितधारकों, नियामक निकायों और प्रवर्तन एजेंसियों की इस भागीदारी और समन्वित दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब के पर्यावरण मंत्रियों ने वायु प्रदूषण के प्रबंधन और मुद्दों के समाधान के लिए सीएक्यूएम और मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया।

अध्यक्ष की अनुमति से बैठक संपन्न हुई।

## प्रतिभागियों की सूची (अनंतिम)

1. श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय मंत्री, ईएफ एंड सीसी
2. श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय राज्य मंत्री, ईएफ एंड सीसी
3. श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री एवं पर्यावरण मंत्री, हरियाणा
4. श्री गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
5. श्री हेमाराम चौधरी, माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री, राजस्थान
6. श्री गुरुमीत सिंह मीत हेयर, माननीय पर्यावरण मंत्री, पंजाब
7. श्री अरुण कुमार सक्सेना, माननीय पर्यावरण मंत्री, उत्तर प्रदेश
8. डॉ. एमएम कुट्टी, अध्यक्ष, सीएक्यूएम
9. श्री नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
10. श्री अरविंद कुमार नौटियाल, सदस्य सचिव, सीएक्यूएम
11. डॉ. ओ.पी. चौधरी, संयुक्त सचिव, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
12. श्री सुमन मजूमदार, उप सचिव, विद्युत मंत्रालय
13. श्री वेद प्रकाश मिश्रा, निदेशक (सीपी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
14. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
15. डॉ. प्रशांत गार्गवा, सदस्य सचिव, सीपीसीबी
16. श्री आरएन पंकज, वैज्ञानिक 'डी', पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
17. अध्यक्ष, एनडीएमसी
18. आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम
19. सदस्य सचिव, यूपीपीसीबी
20. सदस्य सचिव, पंजाब पीसीबी
21. सदस्य सचिव, राजस्थान एसपीसीबी
22. संयुक्त निदेशक अभियंत्रण, 30प्र0
23. श्री रमेश बाबू, निदेशक (संचालन), एनटीपीसी लिमिटेड
24. श्री एसपीएस विर्क, जीएम (बायोमास), एनटीपीसी लिमिटेड
25. कृषि आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
26. श्री कुंजी लाल मीना, प्रधान सचिव (शहरी विकास), राजस्थान सरकार

27. प्रधान सचिव कृषि, राजस्थान
28. जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
29. जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद
30. नगर आयुक्त, फ़रीदाबाद नगर निगम
31. पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए)
32. राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान)
33. नगर आयुक्त, गाजियाबाद
34. मेरठ नगर निगम
35. नोएडा नगर निगम
36. शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
37. क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
38. क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ
39. क्षेत्रीय कार्यालय, कैथल
40. पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए)
41. एडीएम (ई) गौतमबुद्ध नगर
42. मुख्य अभियंता, पंजाब सरकार
43. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटीसी), अलवर
44. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीआईडीए), अलवर
45. शहरी स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय, हरियाणा
46. एसपी, भिवाड़ी
47. डीसी, गुरुग्राम
48. सीडीओ रायबरेली
49. सीएमडी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरवीपीएन)
50. जालंधर विकास प्राधिकरण (जेडीए), पंजाब
51. एडीसी गुरुग्राम
52. सीई गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट (जीजीएसएसटीपी), रोपड़

**फसल अवशेष जलाने के प्रबंधन के मुद्दों पर दिनांक 03.08.2023 को आयोजित मंत्री स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक की चर्चा का अभिलेख**

फसल अवशेष प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाइब्रिड मोड में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक दिनांक 03.08.2023 को माननीय केंद्रीय मंत्री, कृषि और किसान कल्याण और माननीय केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंजाब के माननीय कृषि मंत्री श्री गुरुमीत सिंह खुडियान, हरियाणा के माननीय कृषि मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल, दिल्ली के माननीय पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय, सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू, सचिव, एमओईएफ, महानिदेशक, आईसीएआर, मुख्य सचिव, पंजाब, और डीए एंड एफडब्ल्यू, एमओईएफ, आईसीएआर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ।

प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

स्वागत भाषण के बाद सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू ने बैठक के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत सरकार के समय पर हस्तक्षेप के कारण पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली राज्यों में फसल अवशेष जलाने में कमी आ रही है। फसल अवशेष मशीनें उपलब्ध कराने और सीएचसी की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को समय पर पर्याप्त धनराशि जारी की गई है, ताकि किसान धान की पराली जलाने का सहारा न लें। इसके अलावा, राज्य और आईसीएआर संस्थान धान की पराली जलाने से रोकने के लिए गहन आईईसी गतिविधियां चला रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2022 में पराली जलाने की घटनाओं में 31% की कमी आई है। इसी प्रकार, चालू वर्ष में धान की पराली जलाने की घटनाओं को और कम करने के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है।

सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू) की प्रारंभिक टिप्पणियों के बाद, संबंधित राज्य के अधिकारियों ने चालू मौसम में धान के पुआल जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अपने राज्य की तैयारियों/योजनाओं को प्रस्तुत किया।

### **पंजाब सरकार**

- छह जिलों यथा पठानकोट, एसबीएस नगर, एसएस नगर, होशियारपुर, मलेरकोटला और रोपड़ को वर्ष 2023 के दौरान "शून्य प्रतिशत" धान की पराली जलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिज्ञात किया गया है। अन्य जिलों में वर्ष 2022 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
- किसानों को पर्याप्त सीआरएम मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं और वर्ष 2023 के दौरान 20,000 और मशीनें उपलब्ध की जा रही हैं। 25-30 दिन पहले परिपक्व होने वाली और 10% कम बायोमास वाली धान के बीज की नई किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

> इस राज्य ने चालू मौसम में उपलब्ध मशीनरी से 11.5 मिलियन टन धान के भूसे के स्व-स्थाने प्रबंधन का लक्ष्य तय किया है।

- धान की पुआल के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए सरफेस सीडर जैसी नई मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। सरफेस सीडर पर पिछले 2 साल से पीएयू में अनुसंधान परीक्षण चल रहा है और इसे सीआरएम/एसएमएम के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।
- धान की पराली के बाह्य-स्थाने प्रबंधन के तहत, पंजाब सरकार 7.5 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत से 20 टन/घंटा क्षमता के बायोमास आधारित **औद्योगिक बाँयलर संयंत्रों** पर काम कर रही है।
- इस राज्य ने गौशालाओं को रियायती दर पर चारे के रूप में 10-15 लाख टन धान के भूसे को राजस्थान और गुजरात में भेजने के लिए भारत सरकार से समर्थन मांगा है।
- राज्य ने बाढ़ के कारण किसानों के 2.5 लाख एकड़ खेत में धान की फसल खराब होने और उस क्षेत्र में धान की दोबारा रोपाई के मद्देनजर 24,000 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति का भी अनुरोध किया है।

**हरियाणा सरकार :** इस राज्य ने बताया कि धान की पराली जलाने से रोकने के लिए बहुआयामी कार्यनीति अपनाई जा रही है, जैसे कि

- आईईसी गतिविधियाँ, मशीनें उपलब्ध कराना, पूसा डीकंपोजर का उपयोग, नकद प्रोत्साहन, नकद प्रोत्साहन के माध्यम से फसल विविधीकरण, धान की सीधे बुआई को बढ़ावा देना और धान की पुआल जलाने पर जुर्माना। गौशालाओं को 500 रुपये प्रति एकड़ की रियायती दर पर धान का भूसा भी उपलब्ध कराया जाता है।
- धान के भूसे की आपूर्ति राजस्थान में, जहां इसका उपयोग गौशालाओं में मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता है और गुजरात में, जहां इसका उपयोग पैकेजिंग उद्योगों में किया जाता है, आपूर्ति को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- किसानों से मिले फीडबैक के अनुसार, धान के सड़ने की अवधि जो वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों द्वारा दावा की गई अवधि से काफी अधिक है, को कम करने के लिए पूसा डीकंपोजर की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।

**उत्तर प्रदेश सरकार :** यह बताया गया कि सीआरएम योजना को लागू करने और राज्य अधिकारियों द्वारा सख्त निगरानी के परिणामस्वरूप यूपी और एनसीआर में धान की पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। इस वर्ष किसानों के व्यक्तिगत खेतों में और सार्वजनिक गड्ढों में धान के भूसे को विघटित करने के लिए आईएआरआई पूसा के डीकंपोजर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। **"पराली दो खाद लो"** योजना को यूपी के 9 जिलों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस योजना के तहत, व्यक्तिगत किसानों को गौशालाओं को आपूर्ति की गई

धान की भूसे के बराबर राशि का गोबर खाद मिलता है। इस योजना को उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों तक भी बढ़ाया जाएगा।

### **एनसीआर दिल्ली सरकार :**

केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से प्रदूषण स्तर में 30% की कमी आई है और AQI के स्तर पर, खराब दिनों (गंभीर रूप से प्रदूषित) की संख्या 2018 में 36 दिनों से कम होकर 2022 के दौरान 6 दिन हो गई है। दिल्ली सरकार धान की पराली के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए पूसा डीकंपोजर के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इसकी अधिकतम दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए डीकंपोजर का छिड़काव उनके राज्य विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाता है। हालांकि, पुआल को विघटित करने में लगने वाले दिनों को कम करने की आवश्यकता है और इसलिए इसे अधिक प्रभावी और किसानों के बीच स्वीकार्य बनाने के लिए आईसीएआर वैज्ञानिकों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने का सुझाव दिया गया है।

**श्री भूपेन्द्र यादव माननीय केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री की टिप्पणियाँ :** इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से धान की पराली जलाने से रोकने के प्रयासों के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जैसी एजेंसियों के ठोस प्रयासों के कारण, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। धान की पुआल के बाह्य-स्थाने प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है जिससे बिजली, बायोमास आदि जैसे उपयोगकर्ता उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होगा।

**श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय कृषि मंत्री की टिप्पणियाँ :** माननीय मंत्री ने धान की पराली के मुद्दे का समाधान करने में दिखाई गई गंभीरता के लिए सभी हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के प्रयासों से धान की पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। हालाँकि, धान की पराली जलाने का संबंध सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के प्रदूषण से नहीं है। यह मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर कृषि भूमि पर भी हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, इसलिए, हमारे प्रयास दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने और मिट्टी की गुणवत्ता की रक्षा करने के लिए होने चाहिए, जिससे अंततः हमारे किसानों के हितों की रक्षा हो सके।

वर्तमान मौसम में हमारा उद्देश्य पराली जलाने की कोई भी घटना न होने देने की दिशा में काम करना है। भारत सरकार चार राज्यों को सीआरएम योजना के तहत पर्याप्त धनराशि प्रदान कर रही है और उन्हें समय पर किसानों को मशीन प्रदान करके इसका उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। मशीनों के समुचित उपयोग और बायो-डीकंपोजर के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर उचित निगरानी की आवश्यकता है। बाह्य-स्थाने प्रबंधन के माध्यम से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए धान की पुआल का उपयोग करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। विभिन्न तंत्रों के माध्यम से पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने को तेज करने की आवश्यकता है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों (एटीएमए) जैसी एजेंसियों को उनकी पूरी क्षमता से उपयोग करने की आवश्यकता है।

## कार्रवाई योग्य बिंदु :

पंजाब के छह जिलों, यथा पठानकोट, एसबीएस नगर, एसएस नगर, होशियारपुर, मालेरकोटला और रोपड़ में वर्ष 2023 के दौरान शून्य प्रतिशत धान की पराली जलाने का लक्ष्य हासिल करना और अन्य जिलों में वर्ष 2022 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं को 50% तक कम करना। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना तैयार करना।

कार्रवाई : पंजाब सरकार

पीएयू ने धान की पराली के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए एक नई मशीन सरफेस सीडर विकसित की है। यह मशीन पीएयू में पिछले 2 वर्षों से अनुसंधान परीक्षण के अधीन है। वर्ष 2023-24 के दौरान, पंजाब सरकार ने इस मशीन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की योजना बनाई है और इसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की सीआरएम/एसएमएम योजना के तहत शामिल करने का अनुरोध किया है।

कार्रवाई : एम एंड टी प्रभाग

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गौशालाओं को रियायती दर पर भूसे की आपूर्ति के लिए राजस्थान और गुजरात राज्य में 10-15 लाख टन धान के भूसे का परिवहन करने में पंजाब और हरियाणा सरकार को सुविधा प्रदान कर सकता है।

कार्रवाई : एम एंड टी प्रभाग

उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में, जहां धान की पराली जलाने की घटनाएं अन्य जिलों की तुलना में अधिक हैं, हॉट स्पॉट के रूप में गांवों की पहचान की जा रही है और ऐसे गांवों में किसानों को शिक्षित करने के लिए आईईसी अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार हॉट स्पॉट में धान की पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए योजना बनाएगी।

कार्रवाई : उत्तर प्रदेश सरकार

दिल्ली सरकार ने किसानों के बीच इसे अधिक प्रभावी और स्वीकार्य बनाने के लिए विघटन अवधि को 10 से 12 दिनों तक कम करने की संभावना तलाशने के लिए आईसीएआर और मंत्रालय के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का अनुरोध किया।

कार्रवाई : दिल्ली सरकार, महानिदेशक (आईसीएआर), एम एंड टी प्रभाग

धान की पराली के बाह्य-स्थाने प्रबंधन को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

कार्रवाई : सभी हितधारक

**प्रतिभागियों की सूची**

क्र.सं.	नाम	पदनाम
<b>क.</b>	<b>मंत्री</b>	
1.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
2.	श्री भूपेंद यादव	केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
3.	श्री गुरमीत सिंह खुदियान	माननीय कृषि मंत्री, पंजाब
4.	श्री जय प्रकाश दलाल	माननीय कृषि मंत्री, हरियाणा
5.	श्री सूर्य प्रताप शाही	माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश
6.	श्री गोपाल राय	माननीय पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री, दिल्ली
<b>ख.</b>	<b>केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी</b>	
7.	सुश्री लीना नंदन, सचिव	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
8.	श्री मनोज आहूजा	सचिव, कृषि एवं कल्याण विभाग
9.	डॉ. हिमांशु पाठक	सचिव (डीएआरई) और महानिदेशक (आईसीएआर)
10.	श्री एम.एम. कुटी	अध्यक्ष, सीएक्यूएम
11.	श्री राकेश रंजन	अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
12.	श्री तन्मय कुमार	अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
13.	डॉ. सुरेश कुमार चौधरी	उप महानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) आईसीएआर
14.	डॉ.एस.एन झा	उप महानिदेशक (कृषि अभियांत्रिकी) आईसीएआर
15.	डॉ. उद्यम सिंह गौतम	उप महानिदेशक (कृषि विस्तार) आईसीएआर
16.	श्री अरविंद नौटियाल	संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
17.	सुश्री एस. रूक्मिणी	संयुक्त सचिव, एमएंडटी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
18.	डॉ. प्रशांत गर्गव	सदस्य सचिव, सीपीसीबी
19.	डॉ. के.पी. सिंह	सहायक उपमहानिदेशक (कृषि अभियांत्रिकी), आईसीएआर, नई दिल्ली
20.	डॉ. राजबीर सिंह	सहायक उपमहानिदेशक (एनआरएम)-आईसीएआर
21.	डॉ.पन्नालाल सिंह	प्रधान वैज्ञानिक, आईएआरआई पूसा
22.	श्री वेद प्रकाश	निदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
23.	श्री सी.आर.लोही	डी.सी (एमएंडटी), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
24.	श्री ए.एन. मेशराम	डी.सी (एमएंडटी), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
25.	श्री राजीव ठाकुर	कृषि अभियांत्रिकी, (एमएंडटी), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
26.	श्री पी.के. चोपड़ा	परामर्शी (एमएंडटी), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
<b>ग.</b>	<b>राज्य सरकार के अधिकारी</b>	
27.	श्री संजीव कौशल	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
28.	श्री अनुराग वर्मा	मुख्य सचिव, पंजाब सरकार
29.	श्री देवेश चतुर्वेदी	अपर मुख्य सचिव, (कृषि), उत्तर प्रदेश सरकार
30.	श्री के.ए.पी. सिन्हा	अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण, पंजाब सरकार

31.	श्री विनीत गर्ग	अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन और वन्यजीव, हरियाणा सरकार
32.	श्री नरहरि सिंह बंगेर	निदेशक, कृषि, हरियाणा सरकार
33.	डॉ. गुरविंदर सिंह	निदेशक, कृषि, पंजाब सरकार
34.	श्री आर्शदीप सिंह थिंड	सचिव, कृषि, पंजाब सरकार
35.	श्री राहुल तिवारी	सचिव, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, पंजाब सरकार
36.	श्री जी.एस. मजथिया	सदस्य सचिव, पीपीसीबी, पंजाब
37.	श्री प्रदीप कुमार	एमएस, एचएसपीसीबी, हरियाणा सरकार
38.	श्री जगमन्दर नयन	संयुक्त निदेशक, कृषि अभियांत्रिकी, हरियाणा सरकार
39.	श्री जे.पी. चौधरी	संयुक्त निदेशक, (कृषि अभियांत्रिकी), उत्तर प्रदेश सरकार
40.	श्री ए.के. सिंह	विकास सचिव, दिल्ली सरकार

**चर्चा का अभिलेख**  
**(20 अक्टूबर 2023)**

**माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर हुई समीक्षा बैठक**

माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए 20 अक्टूबर, 2023 को सुबह 09:00 बजे माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा दिल्ली और एनसीआर राज्यों अर्थात् हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यावरण मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की अध्यक्षता की।

2. उपस्थित लोगों की सूची संलग्न है।

3. बैठक की शुरुआत सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के स्वागत भाषण के साथ हुई, जिसके बाद माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा स्वागत भाषण दिया गया।

4. माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अपने संबोधन में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों के लिए एनसीआर राज्यों की सराहना की। इस बात पर जोर दिया गया कि दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रगति की आवश्यकता है और लक्ष्य पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों से अधिक होना चाहिए। उन्होंने यह भी निदेश दिये कि बैठक के दौरान दिए गए सुझावों पर विचार कर उन्हें शीतकालीन कार्ययोजना में उचित रूप से शामिल किया जाए।

5. अपर सचिव (सीपी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने माननीय मंत्री को समीक्षा बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया और अध्यक्ष सीएक्यूएम को एक संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया।

6. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, सदस्य सचिव, सीएक्यूएम ने वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों की स्थिति और उठाए गए कदमों तथा उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के संबंध में एक प्रस्तुति दी। मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया :

- i. धान की पराली जलाने की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण
- ii. टीपीपी द्वारा बायोमास का सह-दहन
- iii. औद्योगिक प्रदूषण- एनसीआर में उद्योगों को उपयोग के लिए स्वीकृत किए गए ईंधन में परिवर्तित करने की स्थिति
- iv. एनसीआर में डीजी सेट चलाने के लिए नियम
- v. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)
- vi. वाहन प्रदूषण - एनसीआर में स्वच्छतर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं

vii. पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी

7. सीएक्यूएम ने बैठक में बताया कि एनसीआर में 7759 में से 7442 औद्योगिक इकाइयां स्वच्छतर ईंधन वाली इकाइयों में परिवर्तित हो गई हैं और शेष 317 औद्योगिक इकाइयां या तो स्वयं बंद हैं या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के निदेशों के तहत बंद हैं। वर्ष 2023 के अंत तक सभी औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी का बुनियादी ढांचा/आपूर्ति उपलब्ध हो जाएगी। आने वाली शीतकालीन कटाई के मौसम में धान की पराली जलाने की रोकथाम के संबंध में, सीएक्यूएम ने कहा कि हरियाणा और यूपी में पराली जलाने का एक भी मामला न होने देने का लक्ष्य है और पंजाब में 5 जिलों में आग की घटनाओं का कोई भी मामला न होने के साथ-साथ 18 जिलों में आग की घटनाओं में कम से कम 50% की कमी का लक्ष्य हासिल हो सकता है।

8. डीजी सेटों के संबंध में, उत्सर्जन नियंत्रण किए बिना और आपातकालीन उद्देश्यों के लिए सभी क्षमता श्रेणियों के लिए केवल दिनांक 31.12.2023 तक इनकी अनुमति दी गई है।

9. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली राज्यों के एनसीआर शहरों/कस्बों के बीच सभी बस सेवाएं दिनांक 01.11.2023 से केवल ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल बसों के माध्यम से संचालित की जाएंगी।

10. दिल्ली के माननीय पर्यावरण मंत्री ने उल्लेख किया कि चालू वर्ष में "अच्छे से मध्यम" एक्यूआई वाले दिनों की कुल संख्या 200 दिनों से अधिक दर्ज की गई है, जो पिछले दो वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

11. माननीय पर्यावरण मंत्री, उत्तर प्रदेश ने दिल्ली एनसीआर में शीतकालीन कार्य योजना की रूपरेखा तय करने के लिए समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करने की सराहना की। यह बताया गया कि वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में केंद्रीकृत निर्णय लेने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में वॉर रूम स्थापित किए गए हैं। समस्या के मूल कारण को खत्म करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ एनसीआर के सभी जिलों में पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

12. पंजाब के माननीय पर्यावरण मंत्री ने बताया कि पंजाब देश में कृषि फसलों का प्रमुख उत्पादक है और इसलिए पराली का सृजन भी बड़ी मात्रा में होता है। यह बताया गया कि पराली प्रबंधन को लेकर किसानों में धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है और पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष-दर-वर्ष कमी आ रही है।

13. एसीएस, हरियाणा ने बताया कि पराली जलाने का एक भी मामला न हो, इस दिशा में प्रयास जारी हैं और पिछले वर्ष की तुलना में इन घटनाओं की संख्या में कमी आई है। थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) में बायो मास पैलेट्स के सह-दहन का लक्ष्य हासिल करने के लिए खरीद शुरू कर दी गई है।

14. एसीएस, राजस्थान ने बताया कि राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में उद्योगों को अनुमोदित ईंधन पर परिवर्तित कर दिया गया है और डीजी सेट के उपयोग को कम करने के लिए समुचित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सभी उपलब्ध क्षेत्रों में वृक्षारोपण पिछले वर्ष की तुलना में 50% बढ़ाया गया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में केवल बीएस VI मानकों के अनुपालन वाली बसें ही संचालित हों।
15. अध्यक्ष सीएक्यूएम ने इस बात पर जोर दिया कि सभी हितधारकों और निष्पादन एजेंसियों को अब जीआरएपी के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में अच्छी तरह से पता है और समय की मांग है कि कार्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए।
16. अपने समापन भाषण में, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने का आह्वान किया क्योंकि यह क्षेत्रीय सीमाओं में निहित नहीं है। 'मिशन लाइफ' के तहत कार्य योजनाओं को धरातल पर साकार करने और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया गया।
17. अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

## प्रतिभागियों की सूची

1. श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2. श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
3. श्रीमती लीना नंदन, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
4. श्री गोपाल राय, माननीय पर्यावरण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
5. श्री अरुण कुमार सक्सेना, माननीय पर्यावरण मंत्री, उत्तर प्रदेश
6. श्री गुरुमीत सिंह मीत हेयर, माननीय पर्यावरण मंत्री, पंजाब
7. डॉ. एमएम कुट्टी, अध्यक्ष, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)
8. श्री तन्मय कुमार, अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अध्यक्ष, सीपीसीबी
9. श्री नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
10. श्री विनीत गर्ग, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वन एवं वन्य जीव
11. श्री शिखर अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण), राजस्थान सरकार
12. श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण), उत्तर प्रदेश सरकार
13. श्री के.पी. सिन्हा, विशेष मुख्य सचिव, (कृषि), पंजाब सरकार
14. श्री अरविंद कुमार नौटियाल, सदस्य सचिव, सीएक्यूएम
15. श्री पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय
16. सुश्री एस. रुक्मिणी, संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
17. श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान सचिव, (पर्यावरण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
18. श्री अश्वनी कुमार, प्रधान सचिव, (गृह मंत्रालय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
19. श्री ए. अनबरसु, प्रधान सचिव, (पीडब्ल्यूडी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
20. श्री राहुल तिवारी, प्रधान सचिव, (पर्यावरण), पंजाब सरकार
21. श्री आशीष तिवारी, प्रधान सचिव (पर्यावरण), उत्तर प्रदेश सरकार
22. सुश्री साक्षी मित्तल, अपर आयुक्त एमसीडी (इंजीनियरिंग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
23. डॉ. साकेत कुमार, एमडी यूएचबीवीएन
24. डॉ प्रशांत गर्गवा, निदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
25. श्री भरत कुमार शर्मा, सदस्य सचिव, सीपीसीबी
26. श्री अजय कुमार शर्मा, सदस्य सचिव, यूपीपीसीबी
27. श्री विजय एन, सदस्य सचिव, राजस्थान एसपीसीबी
28. श्री प्रदीप कुमार, सदस्य सचिव, हरियाणा एसपीसीबी
29. श्री राकेश मिश्रा, उप सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
30. श्री एस.के. ताखले, सीजीएम (पर्यावरण), एनटीपीसी
31. श्री सुदीप नाग, ईडी एवं मिशन निदेशक, एनटीपीसी
32. श्री रमेश बाबू, निदेशक (ओपी), एनटीपीसी
33. श्री जोगिंदर सिंह, संयुक्त निदेशक (ईई), कृषि विभाग, हरियाणा
34. श्री पीके चौहान, अधीक्षक अभियंता, डीएचबीवीएन
35. श्री मुकेश बलोधी, वैज्ञानिक 'डी', पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**पिछले 03 वर्षों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सीपीसीबी द्वारा उठाए गए कदम**

1. सीपीसीबी ने वर्ष 2022 के दौरान सकल यांत्रिक शक्ति 800 किलोवाट तक डीजल पावर जेनरेटिंग सेट इंजनों के लिए रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों (आरईसीडी) के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया जारी की है। आरईसीडी को 209-799 किलोवाट क्षमता के डीजी सेट के लिए विकसित किया गया है और दिल्ली-एनसीआर में आरईसीडी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। डीजी सेट से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सीपीसीबी दिल्ली-एनसीआर के सरकारी अस्पतालों में डीजी सेटों के रेट्रोफिटमेंट/उन्नयन के लिए भी वित्त पोषण कर रहा है और इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के तहत, आरईसीडी और दोहरी ईंधन किट स्थापना के लिए 100% वित्तपोषण सहायता प्रदान की जाती है, जबकि नए गैस आधारित जेनरेटर सेटों की खरीद के लिए 40% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
2. निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं में एंटी-स्मॉग गन के उपयोग के लिए दिशानिर्देश/तंत्र जारी किए गए हैं।
3. सीपीसीबी, पंजाब, हरियाणा राज्यों, एनसीटी दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों के नगर निगमों, नगर परिषदों और जिला परिषदों को केवल दाह संस्कार के प्रयोजन के लिए ब्रिकेट के उपयोग हेतु धान की पराली आधारित ब्रिकेटिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए भी एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली-एनसीआर में 3256 पेट्रोल पंपों पर वाष्प रिकवरी प्रणाली (वीआरएस) की स्थापना।
5. सीपीसीबी द्वारा वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण अध्ययन कराया गया है, जिसमें निर्माण स्थलों पर होने वाले उत्सर्जनों और सड़क की धूल के नियंत्रण के लिए धूल उपशामक के मामले में उत्साहजनक परिणाम देखे गए हैं। दिल्ली-एनसीआर में सड़क मालिकों और निर्माण एजेंसियों द्वारा धूल उपशामक के उपयोग के लिए परामर्शिका जारी की गई है।
6. सीपीसीबी ने दिल्ली-एनसीआर के शहरी स्थानीय निकायों को यांत्रिक रोड स्वीपर और एंटी-स्मॉग गन की खरीद के साथ-साथ सड़क कार्यों के लिए भी निधियां उपलब्ध कराई है और इस तरह सड़क की धूल की समस्या से निपटने में मदद मिली है।
7. सीपीसीबी ने दिनांक 03 नवंबर, 2023 को दिल्ली-एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर लागू जीआरएपी के चरणों के तहत निर्धारित कार्यकलापों के सख्त कार्यान्वयन के लिए दिल्ली-एनसीआर के एसपीसीबी/पीसीसी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए।

\*\*\*\*\*

MR. CHAIRMAN: Supplementary...

**श्री संदीप कुमार पाठक :** सर, माइक काम नहीं कर रहा है।

MR. CHAIRMAN: It will function. Both the hon. Minister and the Member are techno savvy. They know, sometimes situations develop. Go ahead.

**श्री संदीप कुमार पाठक :** सभापति महोदय, आप देखते हैं कि जब भी पॉल्यूशन की बात आती है, पराली जलाने की बात आती है, तो किसानों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। मेरा यह मानना है कि देश में कोई भी किसान खुद से पराली नहीं जलाना चाहता है। जब वह पराली जलाता है, तो सबसे पहले नुकसान उसको स्वयं को और उसके परिवार को होता है। इस इश्यू को एड्रेस करने की जिम्मेदारी सभी सरकारों की होती है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि पराली को न जलाने के लिए compensation देना बहुत जरूरी है। यही एक ऐसा तरीका है, जिससे आप रोक सकते हैं। पंजाब सरकार ने यह ऑफर दिया है कि प्रति एकड़ पराली न जलाने के लिए एक हजार रुपये पंजाब सरकार की तरफ से और यदि केन्द्र सरकार भी 1,500 रुपये उसमें एड ऑन कर दे, तो यह पर्याप्त राशि होगी और यह एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। क्या केन्द्र सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है और इस पर उनका क्या प्रयास है?

**श्री भूपेन्द्र यादव :** सभापति जी, पराली को जलाने से रोकने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दिया गया है। इस विशेष अनुदान के अंतर्गत पराली को rotavator से लगाने के लिए मशीनें दी गईं और पराली को जलाने से रोकने के लिए अन्य कमर्शियल उपाय दिए गए। मैं यहां कहना चाहता हूं कि पराली को जलाने में जितनी गिरावट हरियाणा और बाकी राज्यों में आई है, उतनी संतोषजनक प्रगति पंजाब राज्य में नहीं आई है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए संसाधनों का, जो पूरी तरह से उपयोग करना था, अगर वह होता, तो हम पंजाब में भी उतनी ही गिरावट देखते, जितनी बाकी राज्यों में देखी है।

MR. CHAIRMAN: Second Supplementary, Shri Sandeep Kumar Pathak.

SHRI SANDEEP KUMAR PATHAK: Sir, although the first answer is not satisfactory, I would move on to my next question. सर, पराली को जलाने से रोकने के लिए अगर long term और sustainable answer खोजना है, तो crop diversification एक बहुत fundamental और critical पैरामीटर है। Crop diversification के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एमएसपी के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को पर्याप्त एमएसपी मिलती है? यदि उस फसल पर एमएसपी मिलती है, तो पैडी, जो धान है, उसके एमएसपी में कितना डिफरेंस है? पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार को यह ऑफर दिया है कि धान और बाकी फसलों में जो एमएसपी में डिफरेंस है,

वह पंजाब सरकार की तरफ से compensate करेंगे और एमएसपी देंगे। क्या केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है? क्या केंद्र सरकार इसी सीजन से इसको लागू करने के लिए तैयार है?

**श्री भूपेन्द्र यादव :** माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा 2018 से ही स्कीम लागू की गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगभग 2,440 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है। उसके साथ ही साथ CPCB ने एक नई फाइनेंशियल स्कीम को भी लागू किया है, जिसमें one-time financial assistance दिया गया है। इसमें paddy का pellets बनाकर उसके कॉमर्शियल उपयोग को मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त भी CPCB के द्वारा अन्य फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इसके संबंध में दी गई है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए, इसका थर्मल पावर में भी उपयोग करने के लिए pellets बनाने के लिए उपयोग किया गया है। मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी गई है, उसमें पिछले दो वर्षों की तुलना में पराली को जलाने में हम काफी गिरावट देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सारे प्रयासों को अगर अच्छे तरीके से लागू किया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पंजाब में भी विशेष रूप से यह दुर्भाग्य का विषय रहा है कि सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं, संगरूर में हुईं, जो स्वयं मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र है।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, air pollution now is a serious problem across the country, not just in and around Delhi. The law for preventing and controlling air pollution was passed in 1981. The National Ambient Air Quality Standards were set in 2009. I would like to put this question to the hon. Minister. In view of the accumulating evidence on public health of air pollution, will he consider reviewing the law passed in 1981 as well as the National Ambient Air Quality Standards that were set in 2009?

**श्री भूपेन्द्र यादव :** देश में वायु का जो प्रदूषण है, उसकी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 19,711 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो मानक तय किए गए थे, उन मानकों को डिफाइन करने के लिए देश में 131 शहरों को चिन्हित भी किया गया है। इन शहरों को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम लागू की गई। विशेष रूप से PM 2.5, PM 10 जो हवा में विषैले विकिरण फैलते हैं, उनको देखते हुए सारे प्रावधान किए गए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि 131 शहरों में जो मानक बनाए गए थे, उसमें काफी संतोषजनक रूप से प्रगति की गई है। मैं माननीय जयराम रमेश जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन 131 शहरों में जिन म्युनिसिपालिटीज ने अच्छा काम किया, कंट्रिब्यूशन किया, उनको भी पॉज़िटिव तरीके से अवार्ड देने का काम किया गया है, क्योंकि यह विषय हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें विशेष रूप से देखा गया है कि स्थानीय नगर पालिकाएं कैसे ज्यादा से ज्यादा सहभागिता करें और जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको विशेष compensation भी दिया गया है।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, one of the main reasons for air pollution is plastic. Of course, many serious efforts have been made. The torrential rain, which poured in

Chennai in the past four days, was unprecedented. Now it has stopped. But it is receding very, very slowly only because the major reason, 25 per cent, is plastic waste that is lying here and there. Whenever we visit hotels for a meeting, we see that they supply water only in plastic bottles. Only in some hotels it is being supplied in glass bottles. Also, we see it during festivals and in marriage functions and receptions. My request to the hon. Minister is whether he would consider giving strict guidelines that either glass bottles or recyclable bottles should be given in various places for supplying water and non-recyclable plastic bottles should be banned. It is very, very essential. Wildlife animals and many animals die only because of consuming plastic. That has to be seriously considered. Will the Minister consider this and give suggestions?

**श्री भूपेन्द्र यादव :** माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही सुझाव दिया है। हमने अपने देश के अंदर single-use plastic पूरी तरीके से बैन किया है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों को दी गई है। इसके साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें कई बार जो प्लास्टिक जलता है, उसके कारण भी एयर पॉल्यूशन होता है। हमने इसकी पर्याप्त गाइडलाइन इश्यू की है और हम राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक, जो बैन किया गया है, उसकी गाइडलाइन पूरे तरीके से लागू करें। हमारी जन प्रतिनिधियों से भी अपेक्षा है कि वे इसमें जन भागीदारी को भी बढ़ाएं।

**श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :** सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है कि सरकार वे कौन से कदम उठा रही है, जिससे वातावरण में प्रदूषण कम होगा। महोदय, दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन हमने हाल ही में देखा है और हम सभी जानते हैं कि यहाँ कुछ समय के लिए कुछ कार्यालयों को बंद करना पड़ा और एक लंबे समय तक स्कूल्स को भी छुट्टी देनी पड़ीं, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया था कि सामान्य जन दिल्ली के बाहरी वातावरण में नहीं चल सकते थे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ऐसे कौन से कदम उठाएगी, ताकि आने वाले समय में दिल्ली के कार्यालय और स्कूल्स वातावरण में फैले प्रदूषण की वजह से बंद नहीं करने पड़ेंगे?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

**श्री भूपेन्द्र यादव :** सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए industrial pollution, transport pollution, solid waste management और dust जिम्मेदार हैं। इन चार कारणों से पॉल्यूशन होता है। इसके साथ ही जो stubble burning है, उसके कारण भी यह cause बनता है। Transportation में जो fuel है, हमने उसको already change किया है और जो dust pollution है, उसके लिए पर्याप्त गाइडलाइन निकाली है। हमने industrial pollution के लिए भी गैस आधारित इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एनसीआर में पूरे

तरीके के प्रावधान किए हैं। केंद्र सरकार ने stubble burning के लिए जो राशि एनसीआर क्षेत्र में आवंटित की है, मैंने अपने पूर्व के उत्तर में उसका उल्लेख किया है। महोदय, इन सारे प्रावधानों का उल्लेख उत्तर में विस्तार से दिया गया है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 48